राजकोषीय घटनाक्रम

02
अध्याय

यह वर्ष 2019-20 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसका कारण वर्ष के पूर्वार्द्ध में अनुभव की गई विकास दर की कमी है। वर्ष के दौरान संवृद्धि और निवेश के प्रोत्साहन के लिए किए गए विविध सुधारों में प्रमुख संरचनात्मक सुधार कॉर्पोरेट आयकर दर में कमी करना था। राजकोषीय नीति 2019-20 की विशेषता बजट अनुमान की तुलना में कर राजस्व में मंद गति से वृद्धि रही। गैर-कर राजस्व ने इस वित्तीय वर्ष के आरंभिक आठ माह में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी उच्च वृद्धि दर्ज की। व्यय की तरफ देखें तो अप्रैल से नवंबर 2019-20 के दौरान कुल व्यय काफी गति से बढ़ा, जिसमें पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वृद्धि से लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई। बजट घाटे में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत इस वित्त वर्ष के प्रथम आठ माह के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि के स्तर पर बनाए रखा गया। सरकार के अर्थव्यवस्था में संवृद्धि को पुनः बढ़ाने की अनिवार्य वरीयता को देखते हुए वर्तमान वर्ष का राजाकोषीय घाटे का लक्ष्य बदलना पड़ सकता है।

2.1 वैश्विक स्तर पर शिथिल संवृद्धि तथा व्यापार में तनाव के बढ़ने के बीच जुलाई 2019 में प्रस्तुत बजट 2019-20 ने समष्टि आर्थिक स्थिरता सहित, संवृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट की।

2.2 बजट 2019-20 के साथ प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) विवरण में 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जी डी पी का 3.3 प्रतिशत आंका गया था, जिसके आगे भी धीमी गति से कम होते हुए 2020-21 में जी डी पी के 3 प्रतिशत लक्षित स्तर प्राप्त करने की और 2021-22 तक इसी स्तर पर रहने की अपेक्षा थी। आगे यह भी अनुमानित था कि केन्द्रीय सरकार की देयताएं 2019-20 में जी डी पी के 48.0 प्रतिशत तक आ जाएंगी। यह संभावित था कि केन्द्र सरकार के ऋण की दर में गिरावट जीडीपी वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में क्रमशः 46.2 प्रतिशत एवं 44.4 प्रतिशत की दर से सतत जारी रहेगी। ऋण में गिरावट का यह स्वरूप स्थिर मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे में कमी पर अनुमानतः आधारित है। एम टी एफ पी (जुलाई 2019) में प्रस्तुत घाटे और

चित्र 1: मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण: राजकोषीय सूचक

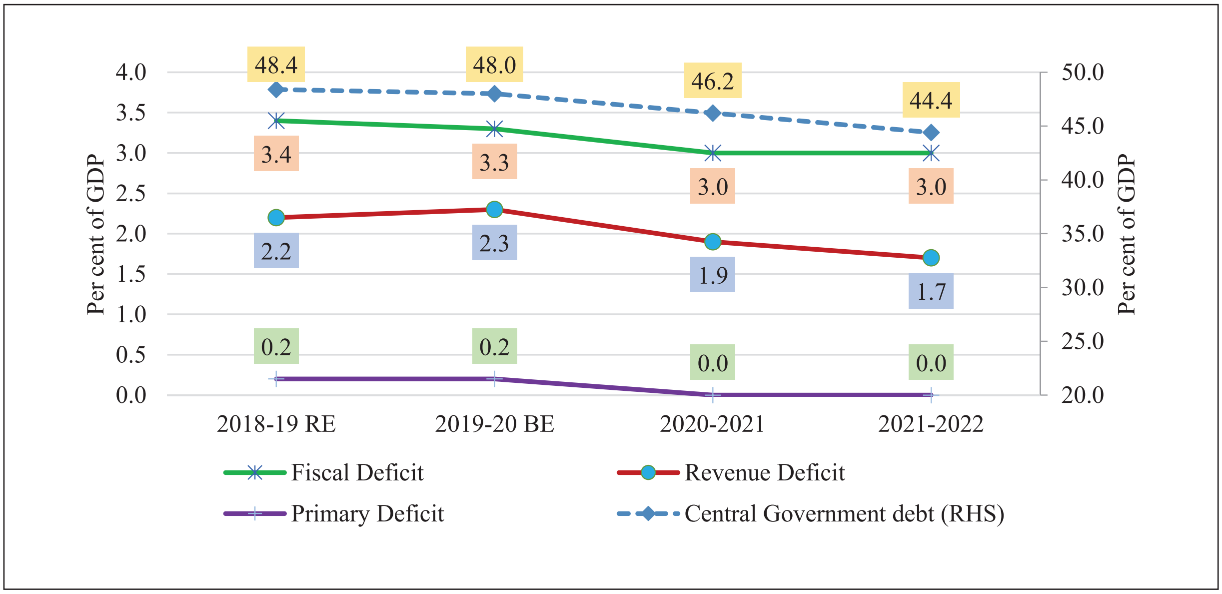

स्रोत: मध्यम अवधि राजकोषीय नीति दस्तावेज, बजट 2019-20 (जुलाई 2019)

ऋण के राजकोषीय संकेतक चित्र 1 में देखे जा सकते हैं।

2.3 यह अध्याय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा करता है। यह हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों पर चर्चा से आरंभ हो रहा है, तत्पश्चात जिसके बाद लेखा महानियंत्रक (सी जी ए) द्वारा नवंबर 2019 तक जारी आंकड़ों के आधार पर चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया जाएगा। तत्पश्चात, यह संक्षेप में राज्यों की सम्मिलित राजकोषीय हालत की चर्चा करता है और अंतत: सामान्य सरकार (केन्द्र तथा राज्य) के वित्त साधनों और 2020-21 के लिए दृष्टिकोण की रूपरेखा को रूपायित करते हुए इसका समापन करता है।

केन्द्रीय सरकार के वित्त साधन

2.4 राजकोषीय समेकन के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए, संघीय बजट 2019-20 राजकोषीय घाटे को ₹7,03,760 करोड़ अर्थात जी डी पी का 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रयास करता है, जो सरकार की कुल उधार लेने की अपेक्षाओं से प्रतिबिंबित है। यह 2018-19 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों में जी डी पी का 3.4 प्रतिशत है (चित्र 2 देखें)। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात, मोटे तौर पर, सरकार के चालू व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार की मात्रा का मापन करता है। 2019-20 बी ई में, यह मोटे तौर पर 2018-19 पी ए के ही स्तर पर आंका गया। (चित्र 2 देखें)

2.5 केन्द्रीय सरकार के प्रमुख राजकोषीय सूचक और उनकी वृद्धि दर क्रमश: तालिका 1 और तालिका 2 में प्रस्तुत है। केन्द्रीय सरकार के वित्त साधनों में प्रमुख परिवर्तन, इन तालिकाओं से स्पष्ट है जिसमें कर जीडीपी अनुपात में सुधार तथा जी डी पी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटे में कमी शामिल है।

प्राप्तियों में रूझान

2.6 मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों को ऋण और ऋण भिन्न प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है। ऋण भिन्न प्राप्तियों में कर और कर-भिन्न राजस्व, तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियां शामिल है। ऋण प्राप्तियां में अधिकांशत: बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल

चित्र 2: घाटे में रुझान

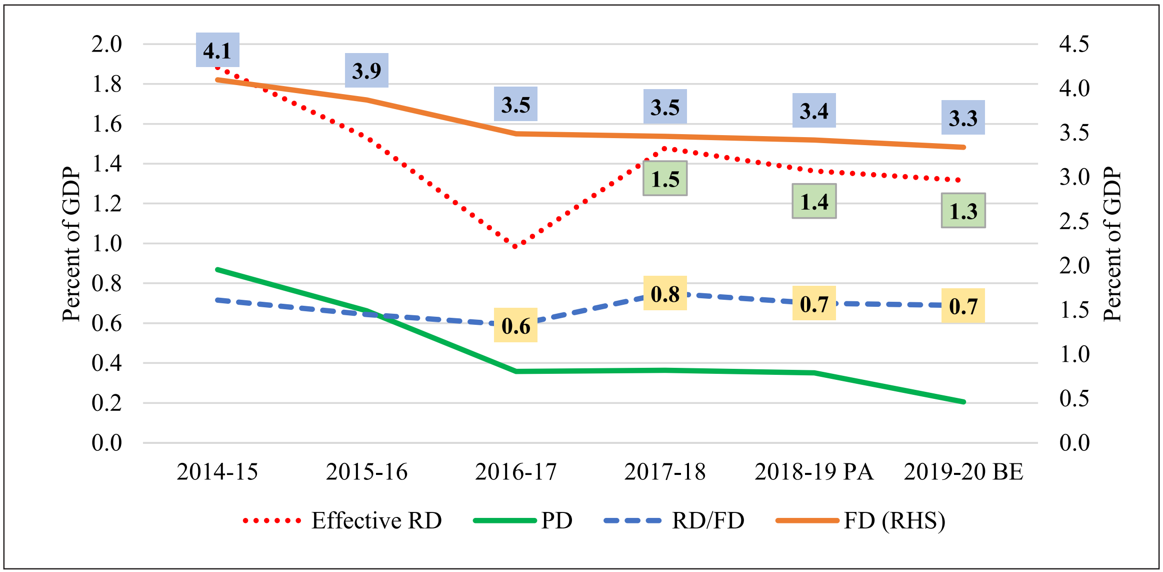

स्रोत: संघीय बजट एवं सीजीए. बीई: बजट अनुमान पी.ए. अनंतिम वास्तविक, एफडी: वित्तीय घाटा, आरडी: राजस्व घाटा, पीडी: प्राथमिक घाटा नोट: आरडी/एफडी की कोई मापन इकाई नहीं है।

तालिका 1: केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय मानदण्ड

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 PA	2019-20 BE
						(₹ लाख करोड़ में)
राजस्व प्राप्तियां	11.01	11.95	13.74	14.35	15.53	19.63
	(8.8)	(8.7)	(8.9)	(8.4)	(8.2)	(9.3)
सकल कर राजस्व	12.45	14.56	17.16	19.19	20.8	24.61
	(10)	(10.6)	(11.2)	(11.2)	(10.9)	(11.7)
निवल कर राजस्व	9.04	9.44	11.01	12.42	13.17	16.5
	(7.2)	(6.9)	(7.2)	(7.3)	(6.9)	(7.8)
कर-भिन्न राजस्व	1.98	2.51	2.73	1.93	2.36	3.13
	(1.6)	(1.8)	(1.8)	(1.1)	(1.2)	(1.5)
ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां*	0.51	0.63	0.65	1.16	1.13	1.2
	(0.4)	(0.5)	(0.4)	(0.7)	(0.6)	(0.6)
ऋण-भिन्न प्राप्तियां	11.53	12.58	14.4	15.51	16.66	20.83
	(9.2)	(9.1)	(9.4)	(9.1)	(8.8)	(9.9)
कुल व्यय	16.64	17.91	19.75	21.42	23.15	27.86
	(13.3)	(13.0)	(12.9)	(12.5)	(12.2)	(13.2)
राजस्व व्यय	14.67	15.38	16.91	18.79	20.07	24.48
	(11.8)	(11.2)	(11.0)	(11.0)	(10.6)	(11.6)
पूंजी व्यय	1.97	2.53	2.85	2.63	3.08	3.39
	(1.6)	(1.8)	(1.9)	(1.5)	(1.6)	(1.6)
राजकोषीय घाटा	5.11	5.33	5.36	5.91	6.49	7.04
	(4.1)	(3.9)	(3.5)	(3.5)	(3.4)	(3.3)

प्राथमिक घाटा	3.66	3.43	3.16	4.44	4.54	4.85
	(2.9)	(2.5)	(2.1)	(2.6)	(2.4)	(2.3)
ज्ञातव्य मद	1.08	0.91	0.55	0.62	0.67	0.43
	(0.9)	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.2)
बाजार कीमत पर जीडीपी	124.68	137.72	153.62	170.95	190.1	211.01

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई:– बजट अनुभान, पी.ए.: अनंतिम वास्तविक आंकडे

* विनिवेश प्राप्तियों सहित

तालिका 2: केन्द्रीय सरकार के घाटा सूचकों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

मदें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 PA	2019-20 BE*
राजस्व प्राप्तियां	8.5	8.5	15.0	4.4	8.2	26.4
सकल कर राजस्व	9.3	16.9	17.9	11.8	8.4	18.3
निवल कर राजस्व	10.8	4.4	16.7	12.8	6.0	25.3
भिन्न कर राजस्व	-0.5	27.0	8.6	-29.4	22.3	32.9
ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां#	23.0	41.8	-10.4	77.0	-2.5	6.3
गैर ऋण प्राप्तियां	9.1	10.0	13.5	7.7	7.4	25.0
सकल व्यय	6.7	7.6	10.3	8.4	8.1	20.4
राजस्व व्यय	6.9	4.8	9.9	11.1	6.8	21.9
पूंजी व्यय	4.8	28.6	12.5	-7.5	16.9	10.0

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई:– बजट अनुभान, पी.ए.: अनंतिम

*2018-19 की तुलना में वृद्धि दर

विनिवेश प्राप्तियों सहित

हैं, जिन्हें सरकार को भविष्य में चुकाना पड़ता हैं। बजट 2019-20 में केन्द्रीय सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियों को काफी उच्च वृद्धि रखा गया जिसका कारण निवल कर राजस्व और गैर कर राजस्व में उच्च वृद्धि की अपेक्षा कि प्रत्याशा रही है। (तालिका 2 देखें)

कर राजस्व

2.7 बजट 2019-20 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) का 24.61 लाख करोड़ का अनुमान रखा गया जो जीडीपी का 11.7 प्रतिशत है। इसमें 2018-19 के संशोधित अनुमानों (आर ई) में 9.5 प्रतिशत और 2018-19 पीए में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर में मुख्यत: कारपोरेट और वैयक्तिक आयकर शमिल है जो जीटीआर का लगभग 54 प्रतिशत है। इसमें 2018-19 आरई की तुलना में 11.3 प्रतिशत और 2018-19 पीए की तुलना में 18.7 प्रतिशत वृद्धि होने की परिकल्पना की गई थी। दूसरी तरफ, अप्रत्यक्ष कर में 2018-19 आर ई की तुलना में 7.3 प्रतिशत और 2018-19 पीए की तुलना में 20.6 प्रतिशत से वृद्धि की संभावना आंकी गई है। 2019-20 बी.ई. के लिए जीटीआर में विविध करों का योगदान चित्र 3 में दर्शाया गया है।

चित्र 3: 2019-20 बजट अनुभाग में जीटीआर में विभिन्न करों के अंश

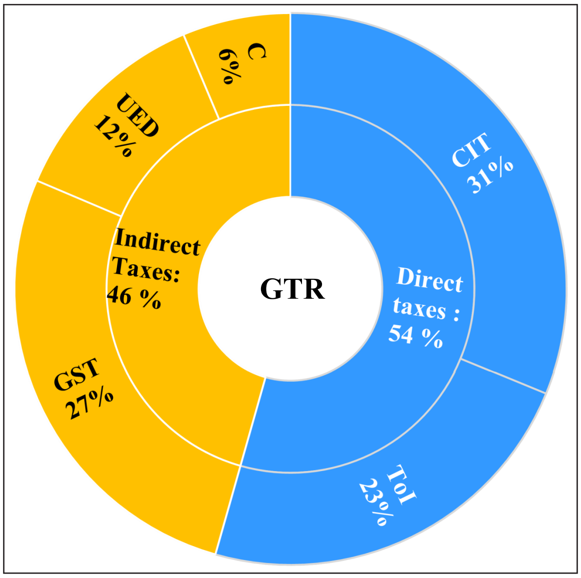

स्रोतः संघीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

जीटीआरः सकल कर राजस्व सीआईटीः निगम कर, टीओआईः निगम कर से भिन्न आय कर (एसटीटी सहित), यू ई डीः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जी एस टीः माल सेवा कर, सीः सीमा शुल्क

2.8 2019-20 बी.ई में प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 6.3 प्रतिशत अनुमानित किया गया। चित्र 4 में प्रदर्शित मुख्य करों के संदर्भ में जी डी पी के रूझान से पता चलता है कि विगत कुछ वर्षों में कोर्पोरेट और वैयक्तिक आयकर में सुधार हुआ है। बेहतर कर प्रशासन, वर्षों से टी डी एस के विस्तार, प्रति-कर-वचन उपाय और प्रभावीकर प्रदाताओं के आधार में बढ़ोतरी ने प्रत्यक्ष कर उछाल में योगदान दिया है। जीएसटी प्रशासन में अप्रत्क्ष कर फाइल करने वालों की संख्या में बढोतरी से भी कर उछाल में सुधार हुआ है। आगे देखा जाए तो कर एकत्र करने में सुधार को बरकरार रखना जीएसटी के राजस्व उछाल पर निर्भर है। वर्ष 2019-20 में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों के लिए उठाए गए प्रमुख उपाय अनुलग्नक में प्रस्तुत हैं।

2.9 वर्ष 2019-20 के दौरान (नवम्बर माह तक), केन्द्र की निवल कर प्राप्ति ₹ 7.51 लाख करोड़ रही जो बजट के अनुमान का 45.5 प्रतिशत है।

कर-भिन्न राजस्व

2.10 कर भिन्न राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर ब्याज; सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश जिसमें भारत सरकार को अंतरित भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) का अधिशेष

चित्र 4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर

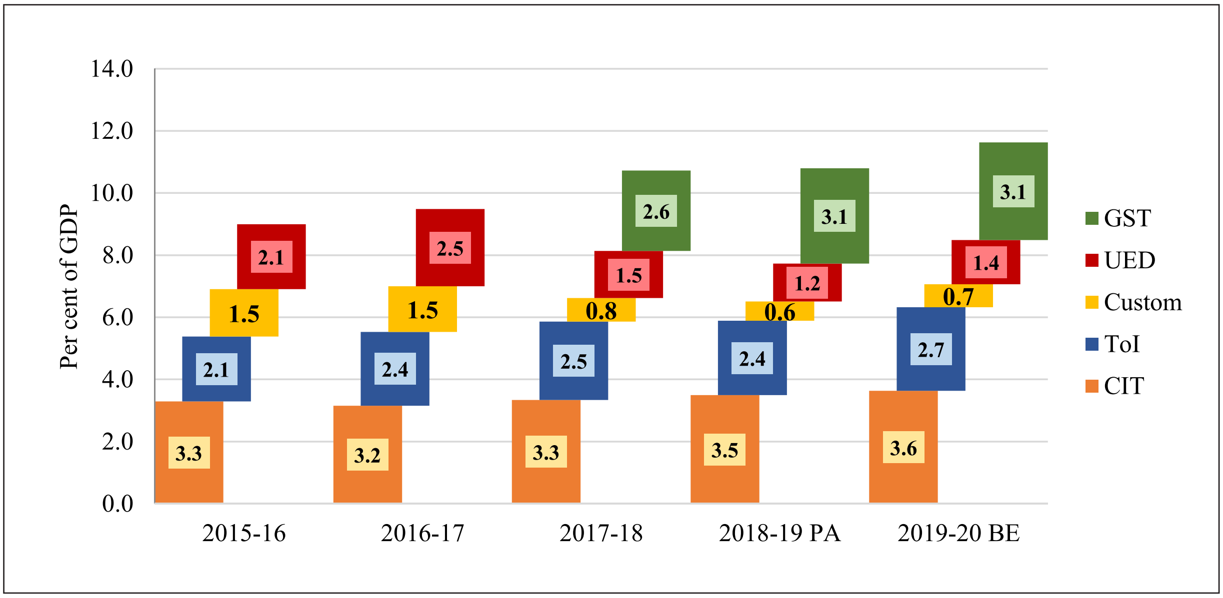

स्रोतः संघीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक बी. ई.: बजट अनुमान, पी. ए.: अनंतिम वास्तविक आंकड़े, सी आई टी: निगम कर, (एस टीटी सहित), यू ई डी: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जी एस टी: माल सेवा कर; जी एस टी में सी जी एस टी, आई जी एस टी एवं कॉम्पनशेसन सेस शामिल है।

तालिका 3: केन्द्रीय सरकार के कर-भिन्न राजस्व में रूझान

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 PA	2019-20 BE
						(₹ लाख करोड़ में)
ब्याज प्राप्तियां	0.24	0.25	0.16	0.14	0.12	0.14
लाभांश एवं लाभ	0.90	1.12	1.23	0.91	1.13	1.64
वाह्य अनुमान	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01
अन्य	0.83	1.12	1.32	0.84	1.09	1.35
कर भिन्न राजस्व	1.98	2.51	2.73	1.93	2.36	3.13

स्रोत:संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई.: बजट अनुमान, पी.ए.: अनंतिम

शामिल है; केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्तियां; तथा विदेशी अनुदान शामिल हैं। बजट 2019-20 में ₹ 3.13 लाख करोड़ कर-भिन्न राजस्व, जी डी पी का 1.5 प्रतिशत, और 2018-19 पी. ए. से 0.3 प्रतिशतांक बढ़ाने का लक्ष्य है। मोटे तौर पर, दो-तिहाई बढ़ोतरी लाभांशों और लाभ, विशेषत: आर. बी. आई. द्वारा अंतरित अधिशेष से बढ़ाने की परिकल्पना की गई है (तालिका 3 देखें)।

2.11 कर-भिन्न राजस्व के लिए 2019-20 बी ई के ₹ 3.3 लाख करोड़ की तुलना में नवंबर 2019 तक की वास्तविक वसूली बी.ई. का 74.3 प्रतिशत रही।

ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां

2.12 ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। विगत कुछ वर्षों से, ऋण-भिन्न प्राप्तियों के कुल समूह में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के अंशदान में सुधार हुआ है (चित्र 5)। उन्हें 2019-20 बी ई में, ₹ 1.20 लाख करोड़, जीडीपी का 0.6 प्रतिशत तक बनाए रखा गया है जिसका कारण 2018-19 पी. ए. में 6.3 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना है। पिछले वर्षों में ऋणों और अग्रिमों की वसूली से प्राप्तियों में कमी हुई है, जो 2019-20 बी ई में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों का 12.4 प्रतिशत है। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों

चित्र 5: केन्द्रीय सरकार की कर-भिन्न प्राप्तियों की संरचना

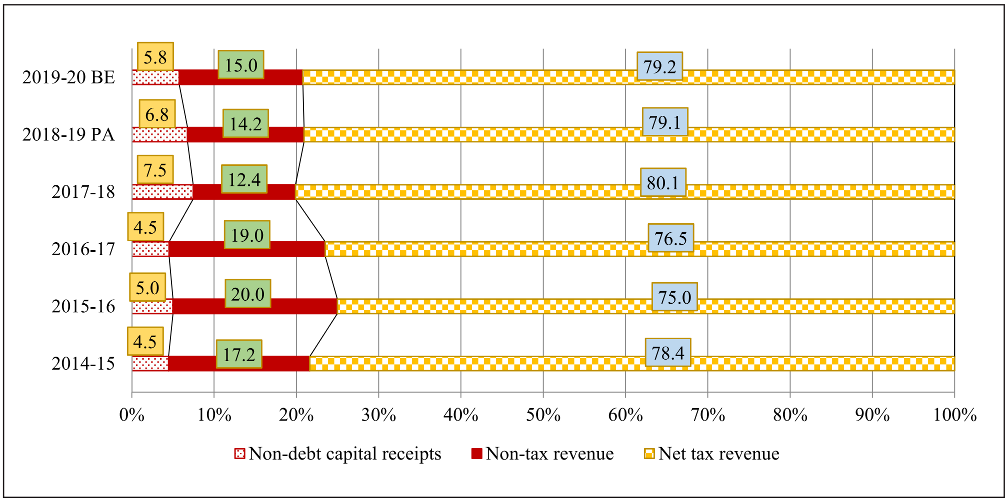

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई.: बजट अनुमान, पी.ए.: अनंतिम

का मुख्य घटक विनिवेश प्राप्तियां हैं जो सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विक्रय (कार्यनीतिक परिसंपत्तियों के विक्रय सहित) से प्राप्त होते हैं। सरकार का 2019-20 बी ई के अनुसार विनिवेश से ₹ 1.05 लाख करोड़ की प्राप्तियां जुटाने का लक्ष्य रखा है।

2.13 केन्द्र की वर्ष 2019-20 (नवम्बर माह तक) बी ई ₹1.20 लाख करोड़ की तुलना में वास्तविक ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां रही 0.29 लाख करोड़ रही। किन्तु महत्त्वपूर्ण सौदे अभी विचाराधीन हैं और इन प्राप्तियों में और अधिक तेजी आने की संभावना हैं।

व्यय के रूझान

2.14. किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि वह महत्वपूर्ण विकास-संबंधी और समष्टि आर्थिक लक्ष्यों से समझौता किए बिना उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम आवंटन करे। चूँकि भारत की जी डी पी में कर का अनुपात कम है, अत: सरकार को राजकोषीय विवेक की सीमाओं के भीतर रहकर, निवेश और अवसंरचना विस्तार के लिए, पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करवाने में चुनोतियों का सामना करना पड़ता है। अत:, व्यय की संरचना और गुणता में सुधार करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

2.15 2019-2020 बी.ई. में सरकारी व्यय की संरचना दर्शाती है कि रक्षा सेवाओं, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी पर कुल व्यय का साठ प्रतिशत से अधिक व्यय होता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा, रक्षा व्यय की दक्षता और उपयोज्यता सुधारने, आत्मनिर्भरता बढाने तथा रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय, आमतौर पर कहा जाए तो वचनबद्ध प्रकृति के हैं अत: इनमें अतिरिक्त राजकोषीय संभावना सृजित करने की सीमित गुंजाइश है। लक्ष्य में सुधार करने के जरिए, सब्सिडियों पर बजटीय व्यय में काफी नरमी आई है। सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, विशेषत भोजन सब्सिडी, के लिए अभी भी गुंजाइश है। हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र

तालिका 4: राजस्व व्यय की प्रमुख मदें

मदें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 PA*	2019-20 BE
						(₹ लाख करोड़ में)
राजस्व व्यय, जिसमें,	14.67	15.38	16.91	18.79	20.07	24.48
	(6.9)	(4.8)	(9.9)	(11.2)	(6.8)	(21.9)
क. वेतन (वेतन व भत्ते)	1.34	1.45	1.77	1.94	2.18	2.35
	(13.6)	(7.9)	(22.6)	(9.3)	(12.7)	(7.5)
ख. पेंशन	0.94	0.97	1.31	1.46	1.60	1.74
	(25.0)	(3.4)	(35.8)	(10.9)	(9.9)	(8.9)
ग. ब्याज भुगतान	4.02	4.42	4.81	5.29	5.83	6.60
	(7.5)	(9.7)	(8.8)	(10.0)	(10.2)	(13.4)
घ. मुख्य सब्सिड़ी	2.49	2.42	2.07	1.91	1.97	3.02
	(1.6)	(-2.7)	(-14.8)	(-7.5)	(3.1)	(53.1)
ङ. रक्षा सेवायें	1.40	1.46	1.65	1.86	1.96	2.02
	(12.9)	(3.9)	(13.3)	(12.5)	(5.3)	(3.0)

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक बी.ई.: बजट अनुमान, पी. ए.: अनंतिम वास्तविक आँकडे कोष्ठक में दी गई संख्याएं वृद्धि दर हैं

* वेतन (वेतन एवं भत्ते) के 2018-19 के आँकडे संशोधित अनुमान (आर. ई.) हैं।

द्वारा प्रायोजित योजनाओं की व्यापक पुन:संरचना और पुन: वर्गीकरण किया गया है।

2.16 बजट 2019-2020 में ₹ 27.86 लाख करोड़ के कुल व्यय का आकलन है जिसमें ₹ 24.48 लाख करोड़ का राजस्व व्यय और ₹ 3.39 लाख करोड़ का पूँजीगत व्यय शमिल है जो क्रमश: जीडीपी का 11.6 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत है। 2018-19 पी ए की तुलना में 2019-20 में व्यय के बजट अनुमान का विश्लेषण सुझाव देता है कि केन्द्रीय सरकार ने बजटीय व्यय 2019-20 में जी डी पी के एक प्रतिशतांक की बढ़ोतरी की परिकल्पना की है। संपूर्ण बढ़ोतरी राजस्व खाते पर है, जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत व्यय अपरिवर्तित रहा। राजस्व व्यय के भीतर, बढ़ोतरी का चालीस प्रतिशत से अधिक, ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडियों में बढ़ोतरी द्वारा वर्णित है (तालिका 4 देखें)।

2.17 मुख्य सब्सिडियों पर व्यय, जो गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण घटक है, 2019-20 बी.ई. में जीडीपी के 1.4 प्रतिशत तक रखा गया। विगत वर्षों में मुख्य सब्सिडियों में बजट व्यय में कमी का रूझान देखा गया है। वर्ष 2019-20 के बजट व्यय में खाद्य, उर्वरक एंव पैट्रोलियम की आवश्यकताओं पर ₹ 3.2 लाख करोड़ की प्रमुख सब्सिडी अनुमानित हैं।

2.18 व्यय की गुणवत्ता को कुल व्यय में पूंजी व्यय के हिस्से द्वारा इंगित किया जाता है। चित्र 6 से पता चलता है कि मोटे तौर पर कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2018-19 पीए से वर्ष 2019-20 बी ई में एक प्रतिशतांक तक गिरावट की परिकल्पना की गई है। हालांकि वर्ष 2019-20 बी ई में पूंजीगत व्यय, 2018-19 की तुलना में 10 प्रतिशत तक बढ़कर ₹ 3.39 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। रक्षा सेवाओं के अलावा जिन प्रमुख क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 बी ई में अधिक मात्रा में पूंजीगत व्यय आवंटन किया गया है उनमें आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय संस्थानों में निवेश, मेट्रो परियोजनाओं के लिए सहायता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

चित्र 6: कुल व्यय में राजस्व तथा पूंजी का शेयर

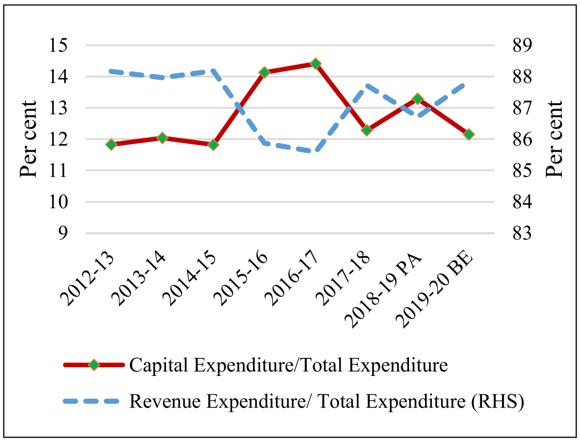

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बी.ई.: बजट अनुमान, पी.ए.: अनंतिम

और सड़कों और रेलवे के निर्माण शामिल हैं। वर्ष 2016-17 से वित्त अवसंरचना निवेश हेतु बजटीय व्यय से इतर, अतिरिक्त बजटीय संसाधान (ईबीआर) भी जुटाए गए हैं। अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) वे वित्तीय देनदारियां हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए जाते हैं, जिसके लिए पूरे मूलधन और ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार के बजट से किया जाता है। सरकार ने 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों के दौरान 88,454 करोड़ रुपये का ईबीआर जुटाया है। 2019-20 बीई में 57,004 करोड़ रु. का ईबीआर बढ़ाने का प्रस्ताव है जो कि जीडीपी का 0.27% है। राजकोषीय घाटे की गणना करते समय इन ईबीआर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि उन्हें सरकारी ऋण की गणना में लिया जाता है।

राज्यों को अंतरण

2.19 आबंटन अवधि 2015-20 हेतु चौदहवें वित्त आयोग (एफ़एफ़सी) ने देश में राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए। इसके फलस्वरूप, राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बड़े कोष अंतरण के साथ-साथ कोष का उपयोग करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्राप्त की है। राज्यों को निधियों के

अंतरण में अनिवार्य रूप से तीन घटक होते हैं:- राज्यों को हस्तांतरित किए गए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, वित्त आयोग अनुदान तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) एवं अन्य अंतरण। वर्ष 2013-14 तक सीएसएस के लिए निधियां, दो चैनलों अर्थात राज्यों की समेकित निधियों तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण के माधयम से दी गई थी। वर्ष 2014-15 में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण बंद कर दिए गए तथा सीएसएस सहित सभी अंतरण, राज्यों की समेकित निधियों के माध्यम से दिए गए थे।

2.20 राज्यों को कुल अंतरण, तालिका 5 तथा चित्र 7 में दर्शाए गए हैं। निरपेक्ष स्वरूप और जीडीपी की प्रतिशतता, दोनों ही रूपों में, राज्यों को कुल अंतरण में वर्ष 2014-15 और वर्ष 2018-19 आर.ई के बीच जीडीपी के 1.2 प्रतिशतांक तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 के बजट में परिकल्पना कर गई है कि जीएसटी के प्रारम्भ होने की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के एवज में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे, ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान और समग्र शिक्षा के तहत रिलीज की वजह से उच्च

तालिका 5: राज्यों को अंतरण (लाख करोड़ रुपये में)

मदें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 RE	2019-20 BE
करों में राज्यों के अंश अंतरण	3.36	5.06	6.08	6.73	7.61	8.09
वित्त आयोग अनुदान	0.62	0.85	0.96	0.92	1.06	1.20
सीएसएस और अन्य अंतरण	2.68	2.39	2.77	3.16	3.71	3.90
राज्यों को सकल अंतरण	6.66	8.29	9.81	10.81	12.38	13.19

स्त्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़

बीई: बजट अनुमान, आरई: संशोधित अनुमान

नोट: राज्यों में केवल 29 राज्य ही शामिल हैं।

चित्र 7: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अंतरण

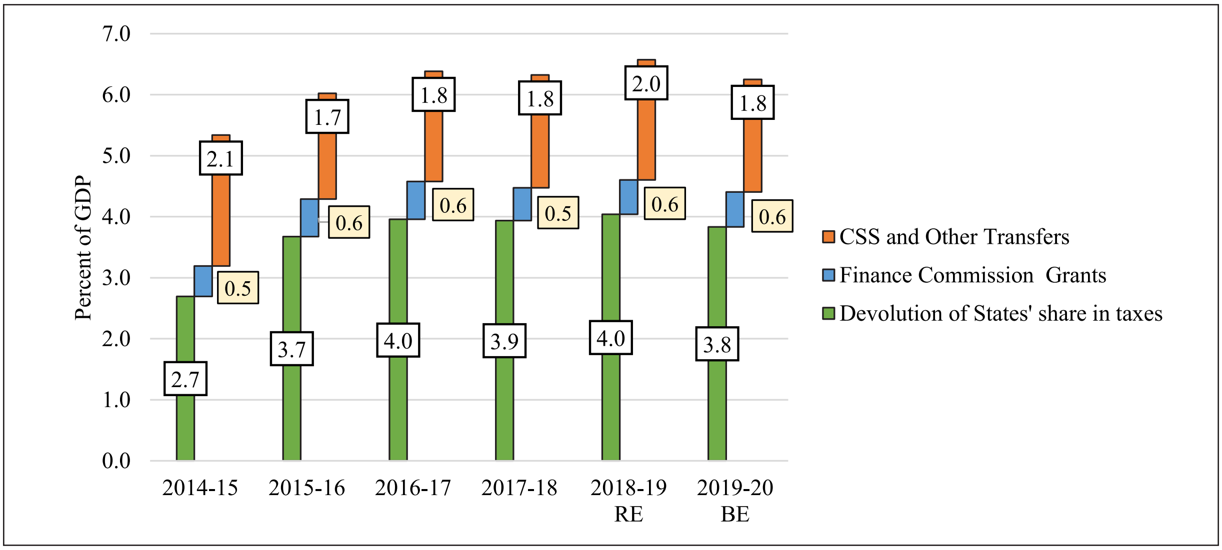

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज

बीई: बजट अनुमान, आर.ई.: संशोधित अनुमान

नोट: ये केवल 29 राज्यों के आंकड़े हैं।

आवश्यकताओं की मद पर वर्ष 2018-19 आई के सापेक्ष राज्यों के अपेक्षित अनुदान और ऋण में 73,963 करोड़ की वृद्धि होगी।

वर्ष 2019-20 बीई की तुलना में वर्ष 2019-20 (नवंबर 2019 तक) में राजकोषीय परिणाम

2.21 वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त संवृद्धि दर्ज की गई। सरकार द्वारा वित्त-वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपायों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी, जिनसे अर्थव्यवस्था के राजकोषीय प्रदर्शन पर काफी महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

2.22 नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2019 का लेखा दर्शाता है कि नवंबर 2019 के अंत में सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की संगत अवधि के समान ही बजट अनुमान का 114.8 प्रतिशत था। (तालिका) 6)

2.23 राजस्व प्राप्तियों में चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवंबर 2019) में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई (चित्र 8)। गैर-कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि, विशेष रूप से लाभांश और लाभ में, जो इसमें शामिल निवल कर राजस्व में निम्न वृद्धि की भरपाई करती है। आरबीआई से अंतरण के द्वारा लाभांश और लाभ में अप्रैल-नवंबर 2019 में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना मोटे तौर पर तीन गुणा वृद्धि हुई। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान यह रु. 1.58 लाख करोड़ था जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह रु 0.55 लाख करोड़ था।

2.24 केन्द्र को प्राप्त निवल कर राजस्व में, जिसकी 2018-19 के अंतिम आंकड़ों (पी ए) की तुलना में

तालिका 6: 2019-20 (नवंबर 2019 तक) राजकोषीय परिवर्तन

		2019-20 बजट अनुमान (रु. लाख करोड़ में)	अप्रैल से नवंबर: रु. लाख करोड़ में		संबंधित बजट अनुमान का प्रतिशत		पिछली वर्ष की तुलना में वृद्धि	
			2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1	राजस्व प्राप्तियां	19.63	8.70	9.83	50.4	50.1	8.1	13.0
2	सकल कर राजस्व	24.61	11.65	11.74	51.3	47.7	7.1	0.8
3	राज्यों के अयिहस्तांकन	8.09	4.32	4.22	54.8	52.1	12.1	-2.3
4	कर राजस्व (केंद्र को निवल)	16.50	7.32	7.51	49.4	45.5	4.6	2.6
5	गैर-कर राजस्व	3.13	1.39	2.33	56.6	74.3	31.4	67.8
6	ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां	1.20	0.26	0.29	28.5	24.2	-57.5	10.4
7	ऋण रहित प्राप्तियां	20.83	8.97	10.12	49.3	48.6	3.4	12.9
8	कुल व्यय	27.86	16.13	18.20	66.1	65.3	9.1	12.8
9	राजस्व व्यय	24.48	14.22	16.06	66.4	65.6	9.8	13.0
10	पूंजीगत व्यय	3.39	1.91	2.14	63.7	63.2	4.0	11.7
11	राजस्व घाटा	4.85	5.51	6.23	132.6	128.4	12.6	13.0
12	प्रभावी राजस्व	2.78	4.17	4.94	188.8	177.8	15.3	18.5
13	राजकोषीय घाटा	7.04	7.17	8.08	114.8	114.8	17.1	12.7
14	प्रारंभिक घाटा	0.43	3.68	4.66	759.9	1076.5	21.9	26.5

स्त्रोत: सीजीए का मासिक लेखा: बी ई: बजट अनुमान

चित्र 8: 2019-20 (नवंबर तक) में राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि का प्रतिशत

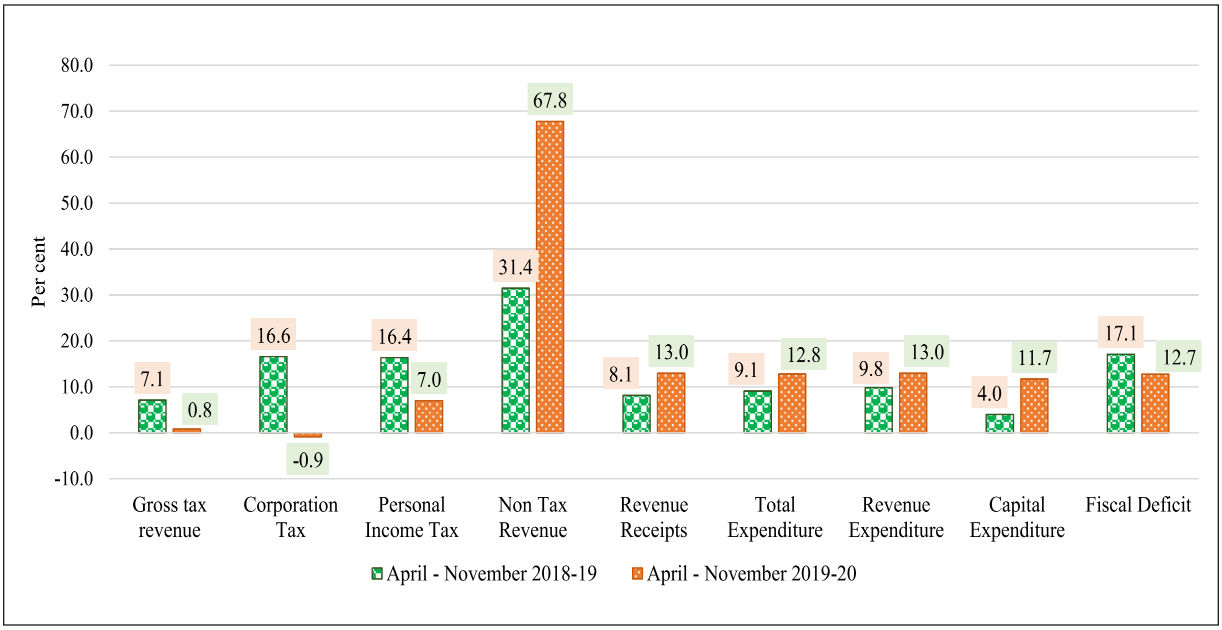

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

2019-20 बजट अनुमानों में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की परिकल्पना की गई थी। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान वृद्धि 2.6 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष की इस संगत अवधि की लगभग आधी थी। वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनों के दौरान 2018-19 के इन्ही महीनों में जीटीआर के 7.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत व्यक्तिगत आय कर में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कॉर्पोरेट कर में चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान नकारात्मक गिरावट दर्ज की गई। यह इन करों की पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के दौरान हुई वृद्धि (चित्र 8) क्रमशः 16.4 प्रतिशत एवं 16.6 प्रतिशत की तुलना में खराब स्थिति है। हाल ही में सरकार ने कॉर्पोरेट करों की दरों में बड़े परिवर्तन किए हैं जो बॉक्स 1 में दर्शाए गए हैं।

बॉक्स 1: कॉर्पोरेट कराधान में प्रमुख सुधार

20 दिसंबर, 2019 को सरकार ने घरेलू कंपनियों पर लागू कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) की दरों में बड़ी कटौती की घोषण ाा की। यह घोषणा कराधान विधियों, संशोधन अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद की गई, जिसके अंतर्गत आयकर अधि नियम में दो नई धाराएं यानी, 115 अअ और 155 बअब जोड़ी गई। मौजूदा कंपनियों को, इस अधिनियम के अधीन कतिपय कटौती और प्राप्त की गई कतिपय छूटों को छोड़ देने तथा प्रतिशत की मौजूदा एमएमआर के स्थान पर 25.17 प्रतिशत के, अधिकार एवं उपकर समेत, एक अधिकतम उपांतिक दर (एमएमआर) वाली नवीन सीआईटी दर संरचना अपनाने का विकल्प प्रदान किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र को ताकत देने के लिए, दिनांक 01.10.2019 को या उसके बाद पंजीकृत नई विनिर्माण कंपनियों को 17.16 प्रतिशत की एमएमआर वाली सीआईसी दर का विकल्प चुनने की चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। यह नई सीआईटी दर संरचना चालू वित्त वर्ष यानी, 20/ 19-20 से ही उपलब्ध होगी। तथापि, विदेशी कंपनियों पर लागू सीआईटी पर व्यवस्था अपर्विर्तित रहेगी। नीचे तालिका में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घरेलू कंपनियों पर लागू मौजूदा और नई सीआईटी संरचना का एक समग्र अवलोकन दिया गया है।

तालिका- वित्तवर्ष 2019-20 के लिए घरेलू कम्पनियों के संबंध में कार्पोरेट आयकर की मौजूदा और नई दरों की तुलना

	मौजूदा दर		नई दर	
	कसौटी	दर	कसौटी	दर
आधारिक सीआईटी दर	यदि वित्त वर्ष 2017-18 में कुल टर्नओवर या सकल प्राप्ति 400 करोड़ रु. से अधिक न हो।	25%	(क) यदि कोई कंपनी धारा 115 बअअ* का विकल्प चुनती है।	22%
	यदि दिनांक 01.3.2016 को या उसके बाद स्थापित विनिर्माण कंपनी धारा 115 बअ का विकल्प चुनती है।		(ख) यदि दिनांक 01.10.2019 को या उसके बाद स्थापित विनिर्याण कंपनी धारा 115 बअब** का विकल्प चुनती है और दिनांक 31.03.2023 को या उसके पूर्व विनिर्माण कार्य प्रारंभ करती है।	15%
	यदि (क) या (ख) के अंतर्गत नहीं है	30%	यदि (क) या (ख) के अंतर्गत नहीं है।	पुरानी दर संरचना लागू
एमएटी दर	समस्त कंपनियां	18.5%	यदि (क) या (ख) के शामिल हो	15%
			यदि (क) या (ख) के अंतर्गत हो शून्य	शून्य
अधिकर दर	यदि कुल आय 1 करोड़ रु. से अधिक न हो	0%	समस्त कंपनियां	10%
	यदि कुल आय 1 करोड़ रु. से अधिक किंतु 10 करोड़ रु. से अधिक हो	7%		
	यदि कुल आय 10 करोड़ रु. से अधिक हो	12%		
उप कर	समस्त कंपनियां	4%	समस्त कंपनियां	4%

* धारा 115 ब.अअ. के अंतर्गत कंपनियों में शामिल हैं: वे घरेलू कंपनियों को नवीन सीआईटी दर का विकल्प चुनती हैं और निम्न शर्तें पूरी करती है:

* धारा 10 अअ; 32(प) (पपअ) या 32 अद या 33 अब या 33 अबअ अथवा 32(2अअ) (1)(पप)/(पपअ)/(पपप) या 35 अद या 35 ससस या 35 सद अथवा धारा 80 जजअअ के अतिरिक्त अध्याय अप अ के किसी प्रावधान के अंतर्गत कोई छूट नहीं ली जाती है।

* उपर्युक्त किसी छूट के कारण आगे ले जाई गई/वर्तमान हानि या मूल्य ह्रास का दावा नहीं किया गया हो।

* केवल धारा 32(1) (पप अ) के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य ह्रास से भिन्न मूल्य ह्रास का ही दावा किया गया हो।

** धारा 115ब-अब के अंतर्गत कंपनियां: अक्टूबर 1, 2019 को या उसके बाद से स्थापित/पूंजीकृत कंपनियों जो नया निवेश ला रही हो और जिनमें मार्च 31, 2023 से पूर्व उत्पादन प्रारंभ हो जाए तथा उपर्युक्त शर्तों के साथ-साथ कुछ शर्तें भी पूरी कर रही हों।

सुधारों का तर्काधार

विश्व भर में अनेक देशों ने निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सीआईटी दरों को कम किया है। अन्य देशों, विशेषकर एशियाई विकासशील देशों द्वारा जो निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत से स्पर्धा करते हैं, द्वारा सीआईटी घटाने के कारण भारत को भी इस कर की दरें घटानी पड़ी हैं। आशा की जा रही है कि इससे देश में निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा संवृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की घटी हुई सीआईटी दरो की आसियान देशों की दरों से तुलना (विशेषकर नई विनिर्माण कंपनियों के लिए) निम्न चित्र में दिखाई गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब भारत की सीआईटी दरें अधिकांश आसियान देशों से कम हो गई है। कार्पोरेट कर में कटौती की उत्प्रेरणा के अर्थव्यवस्था में गुणक

प्रभाव होनी की अपेक्षा है। भावी निवेश न केवल नए रोज़गार बल्कि अधिक आय का भी सृजन करेंगे। अत: मध्यम से दीर्घ अवधि में कर संग्रह में भी वृद्धि की आशा है।

आसियान देशों में कॉर्पोरेट कर दर

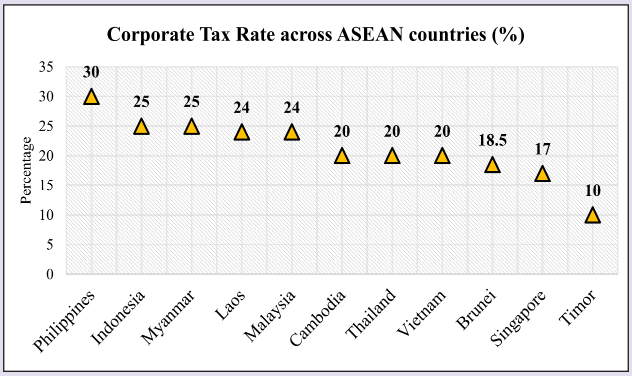

कौन लाभान्वित होगा?

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कॉरर्पोरेटों के आयकर विवरणी आंकड़ों (ITR) के आधार पर, कर नीति अनुसंधान एकक (TPRU) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि अधिकतर कंपनियों (99.1%) का सकल कारोबार (टर्नओवर) 400 करोड़ रु. से कम है (जैसे लघु और मध्यम कंपनियां) और उन पर पहले ही 25% की CIT दर पर कर लगाया जाता है। अधिभार और उपकर सहित उनका MMR 26% से 29.12% तक परिवर्तनशील है। दूसरी ओर, केवल 0.9% कंपनियों अर्थात 4698 कंपनियों का सकल कारोबार 400 करोड़ रु. अधिक है (जैसे बड़ी कंपनियों) और उनका MMR 30.9% से 34.61% तक परिवर्तनशील है। अत: CIT दर में कमी का प्रभाव, लघु/मध्यम कंपनियों हेतु मौजूदा कर देयता में लगभग 3.2% से 13.5% एवंम बड़ी कंपनियों हेतु मौजूदा कर देयता को लगभग 18.5% से 27.3% लाभ परिवर्तनशील है।

स्रोत: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

2.25 इस राजकोषीय वर्ष के पहले आठ महीनों में अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में -0.9 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई है। अप्रैल से नवंबर, 2019 में केन्द्र और राज्यों को मिलाकर सकल GST संग्रहण ₹ 8.05 लाख करोड़ था जो पिछले वर्ष उसी अवधि के संग्रहण सें 3.7 प्रतिशत अधिक है। समान अवधि में, केन्द्र के बड़ा संग्रहण में पिछले वर्ष की उसी अवधि से 4.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

2.26 विशेष रूप से 2019-2020 के दौरान अब तक, GST दरों के युक्तिकरण के बावजूद, मासिक सकल GST संग्रहण, लगातार नवंबर, 2019 और दिसंबर, 2019 महीनों सहित कुल पांच बार एक लाख करोड़ रु. की सीमा पार कर गया है। GST राजस्व संग्रहण पर GST दर युक्तिकरण का विश्लेषण बॉक्स 2 में देखा जा सकता है। बड़ा संग्रहण में वृद्धि का कारण सरकार द्वारा कर अनुपालन और कर राजस्व संग्रहण में सुधार हेतु किए गए ठोस उपाय है। इनमें व्यापारिक प्रक्रियाओं का व्यापक स्वचालन, ई-वे बिल प्रणाली लागू करना, अनुपालन सत्यापन पर लक्षित कार्रवाई, जोखिम मूल्यांकन पर आधारित प्रवर्तन और प्रस्तावित इलैक्ट्रॉनिक इनवॉइस प्रणाली लागू करना शामिल हैं। GST में सुधारों का ब्यौरा अनुलग्नक 1 में देखा जा सकता है। GST अनुपालन में वृद्धि हेतु किए गए सुधारों में, GSTN ने करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रेरित करने के लिए व्यवहारिक मापदंडों को सम्मिलित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इनमें से कुछ बॉक्स 3 में देखे जा सकते हैं।

बॉक्स 2: जीएसटी राजस्व संग्रहण और जीएसटी युक्तिकरण का सदिश स्वप्रतीपगमन विश्लेषण

चर (वेरिएबल) और डेटा

चर: जीडीपी, जीएसटी संग्रहण और जीएसटी युक्तिकरण।

चर विवरण: जीएसटी, युक्तिकरण 28 प्रतिशत श्रेणी में वस्तुओं की संख्या है चूंकि यही वह श्रेणी है जिसमें विगत जीएसटी परिषद की बैठकों में काफी बदलाव देखे गए हैं। जीएसटी संग्रहण में सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी से राजस्व शामिल है।

डाटा: जीएसटी संग्रहण के लिए डाटा जीएसटीएन से है, सीबीआईसी से युक्तिकरण, और सीएसओ, एमओएसपीआई से जीडीपी डाटा लिया गया है। जीएसटी युक्तिकरण और जीएसटी संग्रहण हेतु डाटा मासिक आधार पर उपलब्ध है जबकि जीडीपी डेटा त्रैमासिक अंतर पर उपलब्ध है। जीडीपी हेतु मासिक डाटा को अंतर्वेशित किया है ताकि इस डाटा की अन्य डाटा श्रृंखला से तुलना की जा सके।

कार्यप्रणाली

सदिश स्वप्रतीपगमन विश्लेषण (वीएआर) मॉडल का उपयोग करते हुए हमने जीएसटी संग्रहण पर बड़ा दरों में परिवर्तन के झटके के प्रभाव का विश्लेषण किया। हमने एआईसी मानदंड़ का उपयोग करते हुए अपने विश्लेषण हेतु दो अंतरालों का चयन किया और वीएआर मॉडल का अनुमान लगाया। मॉडल के अनुमान के पश्चात्, हमने जीएसटी पर जीएसटी दरों के आघात के प्रभाव को देखने के लिए मानक आवेग प्रतिक्रिया का उपयोग किया। वीएआर मॉडल से प्राप्त आईआरएफ ग्राफ1 में नीचे दिए गए हैं।

निष्कर्ष

यह देखा गया है कि जीएसटी युक्तिकरण चर (अर्थात् जीएसटी के तहत वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करना) को सकारात्मक आघात परिणामस्वरूप पहले कुछ महीनों में, विशेषरूप से आघात के बाद एक से तीन महीने तक, जीएसटी संग्रहण में तेजी आती है और उसके बाद कम होने लगती है।

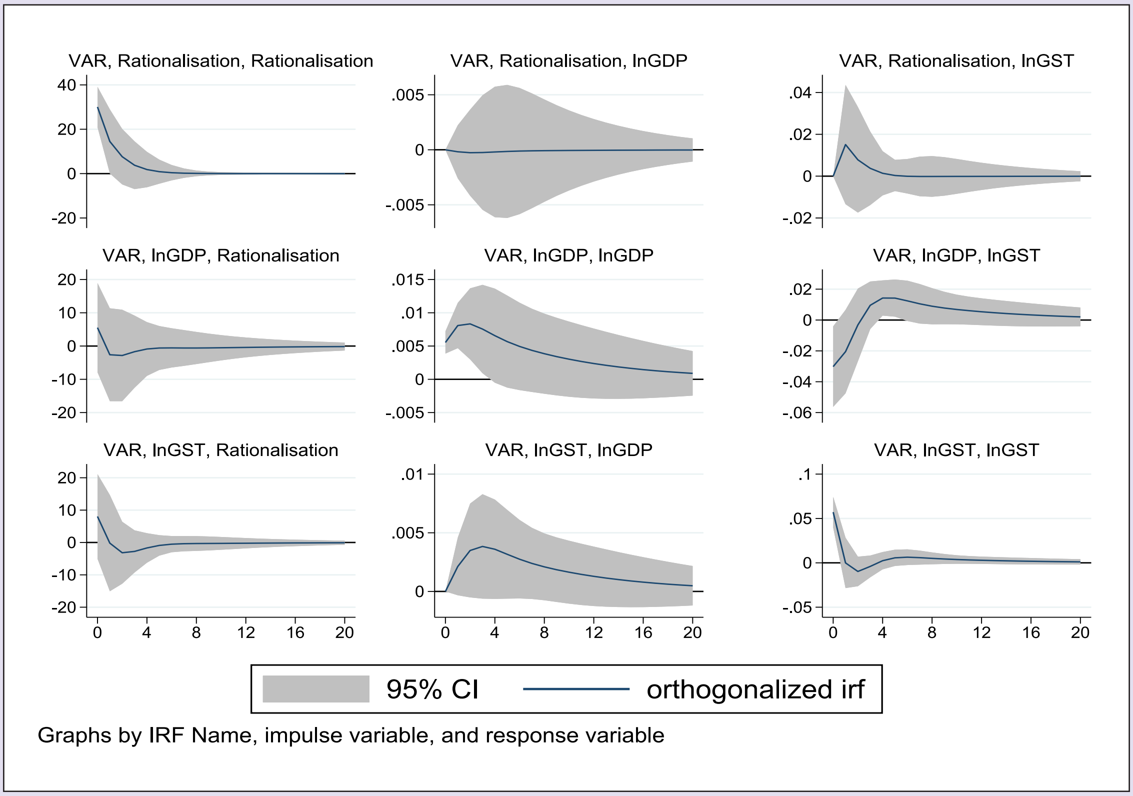

स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन, सीएसओ, एमओएसपीआई, सीबीआईसी,जीएसटीएन

बॉक्स 3: स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने के लिए जीएसटीएन द्वारा व्यवहार के मापदंडों का उपयोग

सरकार द्वारा जीएसटी कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में से जीएसटीएन द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन का वातावरण बनाने के लिए की गई अनेक पहले करदाता व्यवहार प्राचलो को शामिल करने वाले कारकों पर आधारित हैं जैसे निवारण, सामाजिक और वैयक्तिक नियम विकसित करना, जटिलता कम करना और निष्पक्षता और विश्वास बढ़ाना। इनमे से कुछ की नीचे चर्चा की गई है:

- **ई-वे बिल**

जीएसटी नियमों में कुछ शुरूआती मूल्य से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए ई-वे बिल को इलैक्ट्रॉनिक रूप में बनाने का प्रावधान है। ई-वे बिल पोर्टल के डेटा की तुलना जीएसटी पोर्टल के डेटा से करने के परिणामस्वरूप भौतिक चलन वाली वस्तुओं की आपूर्ति का सत्यापन हो जाता है। यह गलत सूचना रिपोर्टिंग के निवारण द्वारा रोक के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है।

- **ई-वे बिल प्रणाली में पिन कोड से पिन कोड तक दूरी का मानचित्रण करना**

ई-वे बिल पोर्टल में मूल और गंतव्य स्थान के पिन कोड को शामिल करने से दूरी की किसी अधिक रिपोर्टिंग का निवारण होता है जिसके कारण अनेक यात्राओं के लिए ई-वे बिल का गलत उपयोग हो सकता है। यह प्रौद्योगिकी आधारित समाधान करदाताओं द्वारा गलत रिपोर्टिंग पर रोक लगाता है और कर प्रवंचना को रोकने में मदद करता है।

- **जीएसटी पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में दिखाई देने वाले जीएसटीईएन की विवरणी दाखित करने की स्थिति**

जीएसटीआईएन की विवरणी दाखित करने की स्थिति पर सार्वजनिक रूप से उपलब्धा सूचना क्रेताओं को कारोबार करने के लिए अनुपालन करने वाले करदाताओं को चुनने में मदद करती है और समयबद्ध आईटीसी का लाभ लेने की संभाव्यता में वृद्धि द्वारा व्यवसाय जोखिम को कम करती है। सरकार की यह पहल सामाजिक और बाजार दबाव के माध्यम से एक बेहतर अनुपालना वातावरण को बढ़ावा देती है।

- **जीएसटीआर- 2क और जीएसटीआर-3ख; तथा जीएसटीआर-/जीएसआरआर-3ख में एक न्यूनतम सीमा से अधिक के असंतुलन के विरूद्ध चेतावनी**

जीएसटी विवरण भरते समय कर देयता जीएसटीआर-1 (इनवॉइस स्तर विवरण) और जीएसटीआर-3ख (सार) दोनों में घोषित की जाती है, और ITC की घोषणा जीएसटीआर-3ख (सार) में की जानी है और साथ ही जीएसटीआर-2क (जीएसटीआर-1 के माध्यम से) में भी स्वत: भरी जाती है। यदि जीएसटीआर-3ख में घोषित देयता जीएसटीआर-1 से अधिक है, इस विसंगति की तुलना में आपूर्तिकर्ता के जीएसटी डैशबोर्ड पर दिखाई देती है ताकि करदाता इसे सही करे और आगे मुकदमें बाजी से बच सके। करदाताओं को महीने-वार आधार पर यह सूचना उपलब्ध कराने; और डेटा में असंतुलन के बारे में एसएमएस भेजकर उन्हें समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, यदि ऐसा अपेक्षित है।

मासिक विवरणी की अंतिम तारीख (प्रत्येक महीने की 10, 13, और 15 तारीख) और विवरणी दाखिल नहीं करने का स्मरण कराने के लिए एसएमएस।

जीएसटीआर-3ख सार विवरणी भरने की अंतिम तारीख के लिए फर्मों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं को और यदि अंतिम तारीख छूट गई है तो फर्म प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और निदेशकों/भागीदारों दोनों को बार-बार स्मरण एसएमएस भेजे जाते हैं ताकि आंतरिक संगठनात्मक दबाव बनाते हुए करदाताओं द्वारा समयबद्ध विवरणी दाखिल करने के व्यवहार को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके और इस प्रकार उनके वैयक्तिक नियमों को बनाया जा सके।

- **छोटे करदाताओं को नि:शुल्क लेखांकन एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करना।**

प्रौद्योगिकी साधित जीएसटी व्यवस्था में अनुपालन आसान करने के लिए, सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए लेखांकन एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनवॉइस तैयार करने, जीएसटी विवरणी, आयकर विवरणी, तुलनपत्र और लाभ व हानि विवरण तैयार करने के लिए नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जिसमें मार्च 2019 में सभी जीएसटी करदाताओं का 80% से अधिक शामिल है।

- **प्रश्नावली आधारित विवरणी भरना और संगत तालिकाएं दिखाना विवरणी की जटिलता कम** करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, जीएसटी पोर्टल प्रश्नावली आधारित विवरणी फाइलिंग प्रणाली अपनाता है जहां करदाता द्वारा दिए प्रश्नावली में गए उत्तर के आधार पर केवल संगत तालिकाएं ही भरने के लिए डैशबोर्ड पर दिखाई देंगी। इस सरलीकरण से करदाताओं द्वारा अनुपालन व्यवहार में वृद्धि होगी।

- **पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करदाताओं का अनुपालना अनुक्रमांक**

रेटिंग स्कोर जीएसटी अधिनियम में प्रत्येक पंजीकृत जीएसटी करदाता की अनुपालन रेटिंग स्कोर के सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रावधान है जो जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के उसके रिकॉर्ड पर आधारित होता हैं यह क्रेताओं को कारोबार करने के लिए अनुपालन करने वाले करदाताओं को चुनने में मदद करता है चूंकि उनका समयबद्ध आईटीसी दावा विक्रेता द्वारा जीएसटी विवरणी समयबद्ध दाखिल करने पर निर्भर होता है। निम्न अनुपालना अनुक्रमांक से संभावी व्यवसाय की हानि करदाताओं को अपनी अनुपालना बढ़ाने को प्रेरित करेगी। इसके साथ-साथ इस सूचना का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन पारदर्शिता को बढ़ाएगा और परिणामस्वरूप कर प्रशासन में कारोबार में विश्वास को बढ़ाएगा तथा दीर्घकाल में अच्छे अनुपालन के सामाजिक नियम विकसित करेगा।

- **समयबद्ध अनुपालना हेतु करदाताओं को धन्यवाद देना**

सरकार द्वारा अच्छे अनुपालन रिकॉर्ड वाले जीएसटी करदाताओं को सकारात्मक स्वीकृति संदेश भेजने की पहल का उद्देश्य उनके अच्छे अनुपालन व्यवहार को बनाए रखना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है।

स्रोत: वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन)

2.27 गैर ऋणपूंजी प्राप्तियों में ऋण और विनिवेश प्राप्तियों की वसूली शामिल है। सरकार का लक्ष्य विनिवेश प्राप्तियों से 1.05 लाख करोड़ रु. जुटाने का है। अब तक वह 0.18 लाख करोड़ रु. जुटा पाई है जो 2019-20 के बजट आकलन का 17.2 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 के दौरान विनिवेश का विवरण और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा शुरु की जा रही नई पहल बॉक्स 4 में दी गई हैं।

बॉक्स 4: विनिवेश

वर्ष 2019-20 हेतु विनिवेश प्राप्तियों का बजट अनुमान 1.05 लाख करोड़ निर्धारित किया गया था। 31 दिसंबर 2019 को सरकार ने विभिन्न लेख-पत्रों जैसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO), बिक्री के लिए प्रस्ताव (OFS), एक्सचेंज पर कारोबार कोष (ETF) आदि का उपयोग करते हुए 0.18 लाख करोड़ रु. जुटाए हैं। विवरण निम्नलिखित है:

शेयरों को सूचीबद्ध करना (IPO): वर्ष 2019-20 के दौरान, दो IPO नामशः भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और रेल विकास लि. (RVNL) सफलतापवूर्क सूचीबद्ध किए गए जिनमें क्रमशः 636 करोड़ रु. और 475.89 करोड़ रु. प्राप्त हुए, जबकि पांच और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSE) नामतः भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC), कुदेरमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (KIOCL) (FPO), रेलटेल, जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएं (APCOS) तथा टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) को सूचीबद्ध करने का प्रक्रिया चल रही है।

बिक्री के लिए प्रस्ताव (OFS): वर्ष 2019-20 के दौरान, राइट्स का OFS पूरा कर लिया है जिसमें 729.45 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

ETF : वर्तमान वर्ष के दौरान ETF प्राप्तियों के सबसे बड़े साधान थे जहां क्रमशः जुलाई 2019 और अक्टूबर 2019 में CPSE-ETF का फर्थर फंड ऑफर-5 (FFO) जिसमें 10,000.39 करोड़ रु. प्राप्त हुए और भारत 22 FTF से ₹4368.80 करोड़ प्राप्त किए (कुल मिला कर ETF से 31.12.2019 तक 14.369.19 करोड़ ₹ प्राप्त हुए हैं।

अन्य: शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा शत्रु शेयरों की बिक्री-1,881.21 करोड़ रु.

DIPAM द्वारा शुरू की गई मुख्य पहलें

1. यौक्तिक विनिवेश:

CCEA ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों में प्रबंधन नियंत्रण सहित भारत सरकार की शेयरधारिता के यौक्तिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी (20.11.2019) को दे दी गई है। ये है: भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लि. (BPCL)य शिपिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI); कंटेनर कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR); टिहरी हाइड्रोपॉवर डेवलपमेंट कोपोरेशन (THDCIL); और नोर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कोर्पोरेशन लि. (NEEPCO). THDC, NEEPCO और BPCL की नुमालीगढ़ अनुषंगी की यौक्तिक बिक्री किसी CPSE खरीदार को जाएगी। सीसीईए द्वारा 8 जनवरी 2020 को भारत सरकार के शेयरधारी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) को यौक्तिक विनिवेश की मंजूरी दे दी गई है इसके साथ अब कुल 34 CPSE/CPSSE की अनुशंगी/इकाईयों, (एयर इंडिया सहित) में भारत सरकार द्वारा यौक्तिक विनिवेशन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

सरकार ने पिछले दो वर्षों में 5 CPSE नामशः हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कोर्पोरेशन लिमिटेट (REC), ड्रेजिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DCIL), हॉस्पीटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कोर्पोरेशन लिमिटेड (HSCC) और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कोर्पोरेशन लिमिटेड (NPCC) में यौक्तिक रूप से अपना हिस्सा बेच दिया है जिसमें 52,869 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। वर्तमान वर्ष में चुनिंदा CPSE में यौक्तिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यौक्तिक विनिवेश की प्रक्रिया सुचारू बनाना: इस यौक्तिक विनिवेश की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र और परिणामोन्मुख बनाने के लिए, CCEA ने यौक्तिक विनिवेश हेतु एक संशोधित प्रक्रिया को मंजूरी दी है जिसके अध्यक्ष, क्ष्प्ड के सचिव होंगे और वे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की सह-अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समूह प्रक्रिया को चलाएंगे और पूरी प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

2. प्रबंधन नियंत्रण रखते हुए चुनिंदा CPSE में शेयरधारिता 51% से कम करना: 2019-20 के बजट भाषण में सरकार ने सरकार नियंत्रित संस्थानों में अपने हिस्से सहित 51% हिस्से को बनाए रखने के लिए मौजूदा 51% सरकारी हिस्सेदारी को बनाए रखने की नीति में संशोधन के निर्णय की घोषणा की थी। तदनुसार CCEA ने चुनिंदा CPSE में भारत सरकार के शेयरों को प्रदत्त पूंजी को 51% से कम करने की सैद्धांतिक मंजूरी (20.11.2019) दे दी है जबकि प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखा जाएगा, ऐसी कोई कमी करने के बाद सरकारी शेयरधारिता और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों की शेयरधारिता को ध्यान में रखा जाएगा। इस नीतिगत निर्णय से अल्प हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश के आकार में वृद्धि होगी।

3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण ढांचा: केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने फरवरी 2019 में CPSE/PSU/ अन्य सरकारी संगठनों और अचल शत्रु संपत्तियों की परिसंपत्ति के मुद्रीकरण हेतु प्रक्रिया और प्रणाली को मंजूरी दे दी है। शत्रु संपत्ति के संरक्षक (CEPI), गृह मंत्रालय के संरक्षण के अधीन अचल शत्रु संपत्ति के तहत CPSE की चुनिंदा अचल संपत्ति का मुद्रीकरण होगा। यह ढांचा अन्य CPSE/PSU/ अन्य सरकारी संगठनों और घाटे में चल रही/बीमार CPSE की संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए भी उपलबध है।

4. ऋण ETF: आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने भारत के पहले कोर्पोरेट ऋण विनियम कारोबार निधि (ऋण ETF) को तैयार किया और शुरू किया है जो के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्रों (CPSE), केन्द्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (CPFI) और अन्य सरकारी संगठनों के लिए वित्तपोषण हेतु एक अतिरिक्त स्रोत तैयार करेगा और भारतीय कोर्पोरेट बॉण्ड मार्केट में खुदरा भागीदारी में वृद्धि करेगा।

भारत बॉण्ड की शुरूआत 12 दिसंबर, 2019 को की गई जिसे विभिन्न खंडों के निवेशकों से जोरदार स्वागत मिला और यह 1.7 गुणा अधिक भरा गया। इसने बॉण्ड मार्केट में खुदरा निवेशकों की पहुंच की एक नई खिड़की उपलब्ध कराई है। नियंत्रित निर्गमों सहित भारत बॉण्ड ईटीएफ भारत में बॉण्ड बाजार को मजबूत बनाने में मदद करेगा और एक निर्धारित समय के लिए CPSE हेतु एक प्राप्ति वक्र विकसित करेगा।

स्त्रोत: निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधा विभाग (डीआईपीएएम)

2.28 व्यय के पक्ष में अप्रैल से नवंबर (2019-20) के दौरान पूंजीगत व्यय, 2018-19 में समान अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय की तुलना में लगभग तीन गुणा बढ़ा है। साथ ही 2019-20 के इन आठ महीनों के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में राजस्व व्यय उच्च दर सहित बढ़ा है। अप्रैल से नवंबर 2018-19 की तुलना में इस अवधि के दौरान यूरिया और पेट्रोलियम सब्सिडी पर व्यय में वृद्धि अधिक रही है। (तालिक 7 का संदर्भ लें)।

तालिका 7: मुख्य सब्सिडी पर व्यय

मद	बजट आकलन (लाख करोड़ रु. में)	अप्रैल से नवंबर (लाख करोड़ रु. में)		
	2019-20	2017	2018	2019
सकल मुख्य सब्सिडी	3.02	2.06	2.19	2.35
खाद्य सब्सिडी	1.84	1.35	1.42	1.32
पोषक आधारित उर्वरक सब्सिड़ी	0.26	0.18	0.20	0.22
यूरिया सब्सिडी	0.54	0.32	0.33	0.51
पेट्रोलियम सब्सिडी	0.37	0.21	0.23	0.30

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

2.29 उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर एक शंका उठती है कि 2019-20 बजट आकलन में परिकल्पित लक्ष्य की तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष हेतु कर राजस्व मंद रहेगा। निम्न कर प्राप्तियों के कारण अंतराल की कुछ हद तक 2019-20 के गैर-कर राजस्व और विनिवेश प्राप्तियों के अधिक संचालन द्वारा प्रतिपूर्ति की जा सकती है। तथापि, गैर-कर राजस्व में उच्च वृद्धि को वर्ष दर वर्ष बनाए रखना कठिन है। गैर-कर राजस्व और विनिवेश से प्राप्तियों की अनिश्चतता, राजस्व लक्ष्य में अस्थिरता पैदा करती है।

2.30 अत: मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण द्वारा रेखांकित राजकोषीय मार्ग के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना अनिवार्य है। हालांकि, राजकोषीय वर्ष की प्रथम छमाही में सूचित निजी उपभोग व्यय में सुस्त मांग और गिरावट को देखते हुए व्यय में, विशेषकर पूंजीगत व्यय में, कोई कमी करने के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होंगे। इसके अलावा चूंकि राजस्व व्यय, जैसे ब्याज भुगतान, वेतन एवं मेहनताना तथा पेंशन, का महत्वपूर्ण भाग प्रतिबद्ध व्यय के रूप में है जिसमें छेड़छाड़ के लिए मामूली राजकोषीय गुंजाइश है। इसलिए, सरकार का ध्यान अन्य गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय, जैसे सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने पर होना चाहिए। इसके साथ ही घरेलू मांग में तेजी लाने के लिए, जो विकास के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, चालू वित्तीय वर्ष हेतु राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में शिथिलता लानी पड़ेगी ताकि अर्थव्यवस्था में आवश्यक वृद्धि को बल मिल सके।

केन्द्रीय सरकार ऋण

2.31 केन्द्रीय सरकार की कुल देयताओं में भारत की समेकित निधि पर अनुबंधित ऋण, जो तकनीकी रूप से लोक ऋण कहलाता है, के साथ-साथ लोक लेखा की देयताएं शामिल हैं। इन देयताओं में[1] चालू विनिमय दर पर बाहय ऋण (वित्तीय वर्ष के अंत में) शामिल है और इसमें से राज्यों द्वारा NSSF की धनराशि उधारी तक और NSSF से सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश शामिल नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार के घाटे का वित्तपोषण नहीं करता है। मार्च 2019 के अंत में केन्द्रीय सरकार की कुल देयताएं 84.7 लाख करोड़ रु. रही और इनमें से 90% लोक ऋण था (तालिका 8 का संदर्भ ले)।

2.32 चित्र 9 में केन्द्रीय सरकार की कुल देयताओं को GDP के अनुपात के रूप में लगातार गिरते हुए दिखाया

[1] सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के अनुसार

तालिका 8 : केन्द्रीय सरकार की ऋण स्थिति (लाख करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (पी)
क. लोक ऋण स्थिति (क1 +क2)	40.97	46.15	51.05	57.11	61.50	68.84	75.79
क1. आंतरिक ऋण (क+ख)	37.65	42.41	47.38	53.05	57.42	64.01	70.66
(i) बिक्री योग्य प्रति भूतियां	33.61	38.54	43.09	47.28	50.49	55.10	59.68
(ii) गैर बिक्री योग्य प्रति भूतियां	4.04	3.87	4.29	5.77	6.93	8.91	10.98
क 2. बाह्य ऋण	3.32	3.74	3.66	4.07	4.08	4.83	5.13
ख. लोक ऋण - अन्य देयताएं	6.10	7.23	7.62	8.16	8.57	9.15	8.89
ग. कुल देयताएं (क+ख)	47.07	53.39	58.66	65.27	70.07	77.99	84.68

स्त्रोत: दिसंबद 2018 हेतु लोक ऋण पर सरकारी ऋण और तिमाही रिपोर्ट पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मामले पी: अनंतिम * वित्त मंत्रालय के सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग से मौजूदा विनिमय दरों पर बाह्य ऋण।

गया है। विशेष रूप से FRBM अधिनियम, 2003 के लागू होने के पश्चात। यह राजकोषीय समेकन प्रयासों के साथ-साथ अपेक्षाकृत उच्च GDP विकास दोनों का परिणाम है। (चित्र 10)

चित्र 9: केन्द्र के ऋण - GDP अनुपात में रुझान

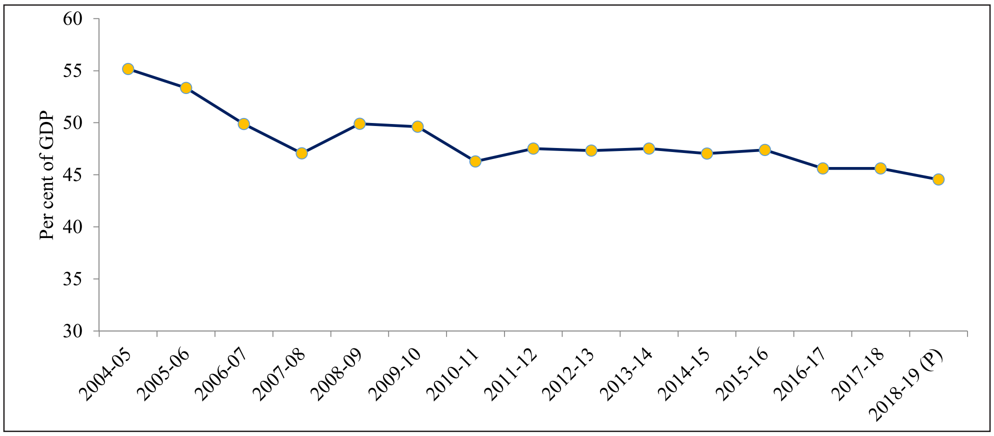

स्त्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मामले

चित्र 10: GDP संवृद्धि और बकाया देयताओं में वृद्धि

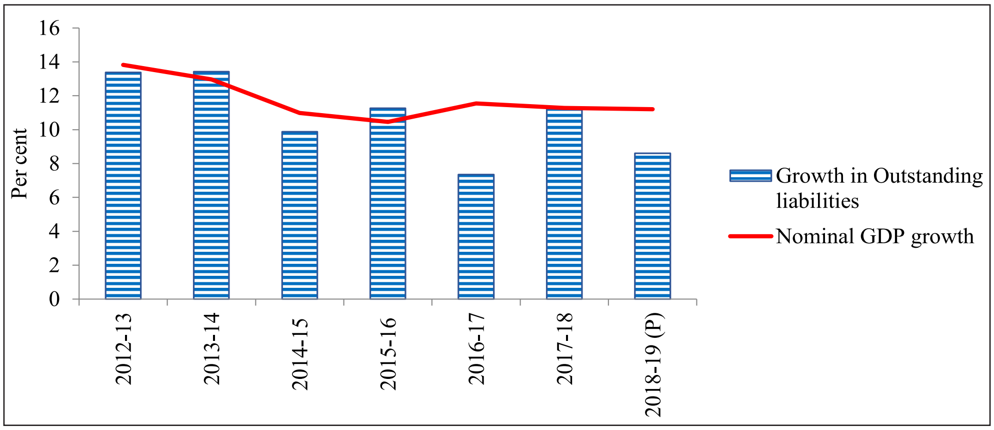

स्रोत: सरकारी ऋण पर विभिन्न स्थिति पत्रक; पी=अनंतिम

2.33 केन्द्रीय सरकार ऋण कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के कारण विशिष्ट बना हुआ है। इसका कारण ऋण निवेश सूची में बाह्य ऋण का कम अंश और उसका आधिकारिक उधार स्रोतों से होना है। इसके अलावा, अधिकतर लोक ऋण नियत ब्याज दर पर अनुबंधित है जो भारतीय ऋण पूंजी को ब्याज दर की अनियतता से अलग रखता है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान की शर्तों में बजट को निश्चितता और स्थिरता मिलती है।

2.34 अन्य मुख्य विशेषता केन्द्रीय सरकार के ऋण की परिपक्वता अवधि विन्यास का क्रमिक विकास है जिससे पुनर्निर्धारण जोखिम में कमी आती है। (चित्र 11 देखें) पांच वर्ष से कम अवधि में परिपक्वता प्राप्त करने वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के अनुपात में हाल के वर्षो में निरंतर गिरावट देखी गई है। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता में मार्च 2010 के अंत में 9.7 से मार्च 2019 के अंत में 10.4 वर्ष तक वृद्धि हुई है।

चित्र 11: केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों बकाया परिपक्वता अवधि संरचना

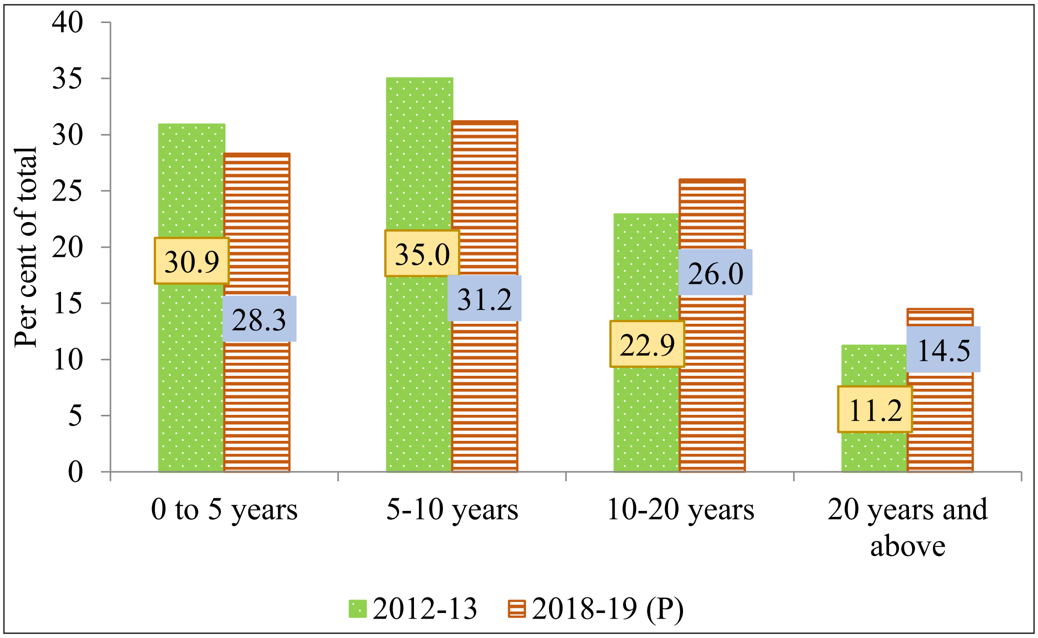

स्रोत: सरकारी ऋण का अवस्था पत्र, 2017-18; अप्रैल मार्च 2018-19 की लोक ऋण प्रबंधन पर तैमासिक रिपोर्ट

P: अनंतिम

राज्य वित्त

2.35 राज्य सरकारों के 2019-20 के बजट आकलन के अनुसार राज्यों का स्व-कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के क्रमशः 11.1 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत से बढ़ने की संभावना है, जो 2018-19 बजट आकलन के प्रदर्शित भारी वृद्धि की तुलना में कम है। 2018-19 संशोधित आकलन के संबंध में कुल व्यय में 8.4 प्रतिशत की परिकल्पित वृद्धि का काफी हद तक कारण राजस्व व्यय में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। (तालिका 9 देखें)। राजस्व व्यय में बढ़ते रूझान का कारण पेंशन और ब्याज सहित प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि है। यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। वास्तव में, राज्य वित्त पर RBI का अध्ययन, पिछले चार से पांच वर्षों में राज्यों के राजकोषीय समेकन का श्रेय व्यय में तेजी से गिरावट (मुख्यतः पूंजीगत) को देता है जिसके संघीय स्तर पर लोगों के जीवन पर बड़े कल्याणकारी प्रभावों को देखते हुए आर्थिक विकास की गति एवं गुणवत्ता के लिए प्रतिकूल निहितार्थ हो सकते हैं।

2.36 अतः राज्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ चलते रहे हैं और उन्होंने अपने राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम अधिनियम द्वारा नियत लक्ष्यों के अनुरूप रखा है। वर्ष 2019-20 में राज्यों ने जीडीपी के 2.6 प्रतिशत के समान सकल राजकोषीय घाटे का बजट बनाया है-जबकि 2018-19 का संशोधित अनुमान 2.9 प्रतिशत रहा है (2018-19 में अनंतिम अनुमान 2.4 प्रतिशत था) हां 2017-18 का संशोधित अनुमान 2.4 प्रतिशत ही था। पिछले वर्षों में राज्यों के राजकोषीय घाटे की वित्तीयन रचना में भी बदलाव आए हैं। बाजार से उधार को अंश 2015-16 के 61.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 73.7 प्रतिशत हो गया। इसके 2019-20 के बजट अनुमानों के अनुसार 87.9 प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है।

2.37 दूसरी ओर राज्यों के ऋण-जीडीपी अनुपात में 2014-15 से निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके कारण रहे

तालिका 9: राज्यों के राजकोषीय सूचक*

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 RE	2019-20 BE
						(लाख करोड़ रु. में)
स्व कर राजस्व	7.8	8.5	9.1	10.9	12.3	13.6
	(9.4)	(8.7)	(7.8)	(19.6)	(12.4)	(11.1)
स्व गैर-कर राजस्व	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	2.4
	(8.4)	(6.95)	(10.3)	(4.7)	(24.4)	(9.9)
बजट आकलन	16.4	18.4	20.9	23.0	28.3	30.9
	(18.7)	(12.3)	(13.5)	(10.2)	(22.9)	(9.4)
पूंजीगत व्यय	3.0	4.2	5.1	4.3	5.9	6.1
	(23.3)	(40.5)	(20.4)	(-16.6)	(38.1)	(3.7)
कुल व्यय	19.4	22.6	26.0	27.3	34.2	37.0
	(19.4)	(16.7)	(14.8)	(5.0)	(25.3)	(8.4)

स्त्रोत: आरबीआई राज्य वित्त: बजट और केन्द्रीय बजट दस्तावेजों का अध्ययन,
RE: संशोधित आकलन BE बजट अनुमान्य कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है,
राज्यों में केवल 29 राज्य शामिल हैं।

चित्र 12: राज्यों की राजस्व प्राप्तियां #

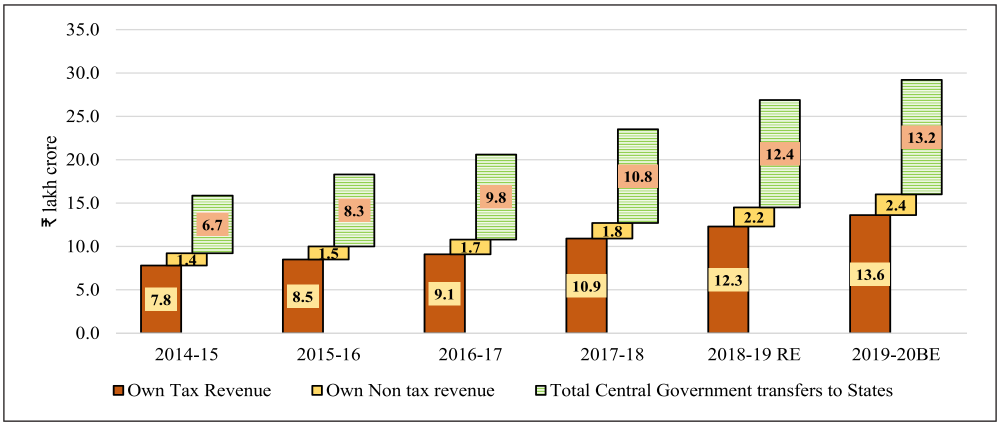

स्त्रोत:- आरबीआई राज्य वित्त: बजट और केन्द्रीय बजट दस्तावेजों का अध्ययन,
RE: संशोधित आकलन BE बजट आकलन
राज्यों में केवल 29 राज्य शामिल हैं।

हैं 2015-16 और 2016-17 में जारी उदय बांड, कृषि ऋणों की माफी और वेतन आयोग अनुशंसाएं लागू करना। (चित्र 13) राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात 2019-20 में 25 प्रतिशत बने रहने का अनुमान है। स्पष्टत: ऋण की धारणीयता को बनाए रखना राज्यों के लिए एक बड़ी मध्यावधि चुनौती बना हुआ है।

2.38 राज्यों के लिए 2019-20 में ऋण लेने की निवल सीमा ₹ 6,11,186 करोड़ रखी गई है और प्रत्येक राज्य को राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा

चित्र-13: राज्यों के ऋण सूचक और मुख्य घाटे

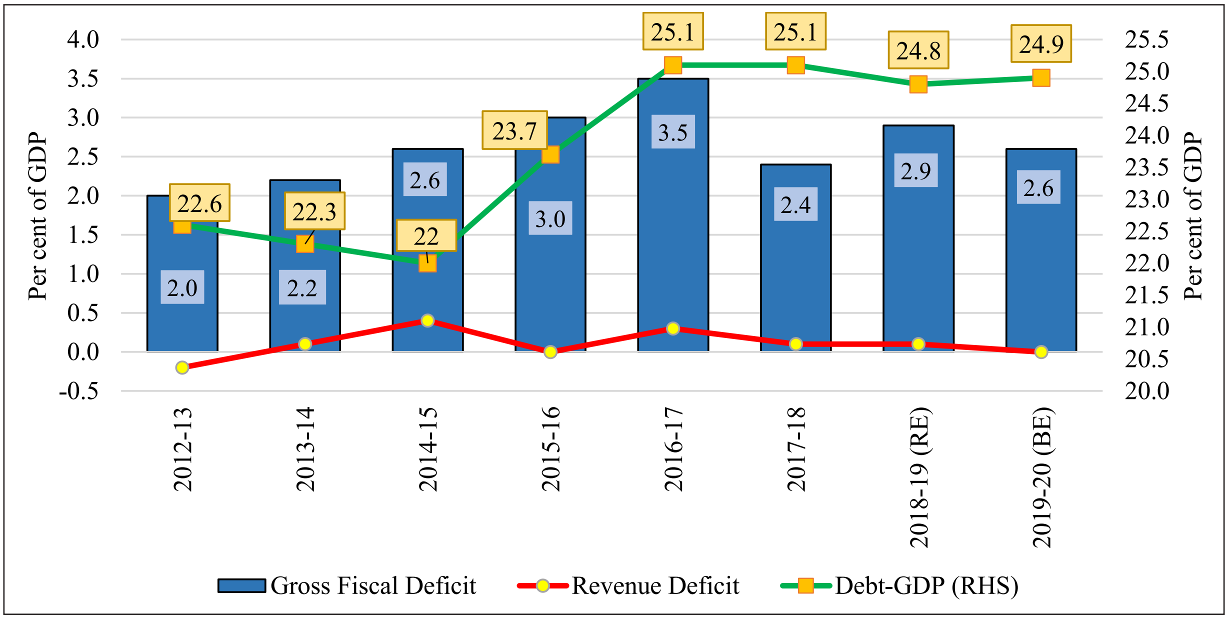

स्त्रोत:- आरबीआई राज्य वित्त: बजट और केन्द्रीय बजट दस्तावेजों का अध्ययन,
RE: संशोधित आकलन BE बजट आकलन
राज्यों में 29 राज्य एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

के अनुसार, अपना राज्य जीडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित रखना है। (अनुशंसा अवधि 2015-20)। केन्द्र सरकार ने उक्त वित्त आयोग के सुझाव पर 2016-17 से 2019-20 के बीच राज्यों को वर्षानुसार उक्त 3 प्रतिशत की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत तक की नम्यता रखी है ताकि राज्य का ऋण जीडीपी का अनुपात 25 प्रतिशत ही बना रह सके और ऋण भुगतान एवं सकल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाए। हां, यदि जिस वर्ष ऋण सीमा नियत की जाती है उसमें एवं उससे एक दम पिछले वर्ष में कोई राजस्व घाटा नहीं हो तो ऐसे राज्य को अतिरिक्त राजकोषीय घाटे में कुछ और नम्यता मिल सकती है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद सात राज्यों को 2016-17 में ₹12264 करोड़, 2017-18 में नौ राज्यों को ₹12873 करोड़ तथा 10 पात्र को 2018-19 में ₹12664 करोड़ तक तथा वर्ष 2019-20 में (4 नवंबर तक) 4 पात्र राज्यों को ₹4214 करोड़ वित्त आयोग अंशसित नम्यता प्रदान की गई है।

सामान्य राजकीय वित्त

2.39 समस्त राजकीय स्तर पर वित्तीय अवस्था को समझने के लिए सामान्य राजकीय वित्त का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। सामान्य सरकार (केन्द्र तथा राज्य) से राजकोषीय सुदृढ़ता के पथ पर अग्रसर रहने की आशा की जाती है क्योंकि इस सामान्य स्तर पर राजकोषीय

चित्र-14: केन्द्रीय सरकार के ऋण और घाटे की प्रवृत्तियां (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

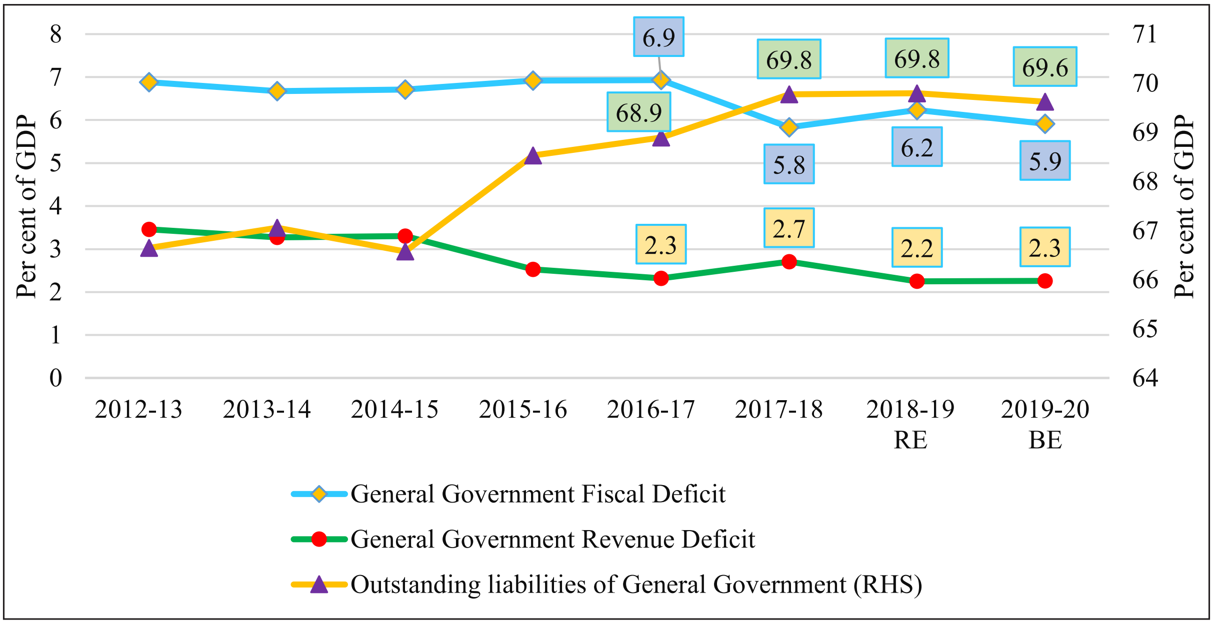

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

BE: बजट अनुभाग RE संशोधित अनुमान

घाटे के 2018-19 संशोधित अनुमान के जीडीपी के 6.2 प्रतिशत से घटकर 2019-20 के बजट में 5.9 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान लगाया गया है। (चित्र-14)। जबकि, केन्द्र एवं राज्यों की सम्मिलित देयताएं मार्च, 2016 के अंत में जीडीपी 68.5 प्रतिशत की अपेक्षा मार्च, 2019 में बढ़कर 69.8 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है।

भावी परिदृश्य

2.40 वर्ष 2020-21 राजकोषीय मोर्चे पर चुनौतियां लेकर आने वाला है। जहां एक और वैश्विक पटल पर संवृद्धि में नरमी बनी रहेगी, व्यापार संबंधों में तनाव भी जोखिम का कारण बन रहे हैं। दूसरी ओर संवृद्धि के पुनर्उत्थान की गति भी राजस्व संकलन पर प्रभाव डालने वाली है।

2.41 शिथिल मांग एवं उपभोक्ता की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति को अपनी कर राजकोषीय गुंजाइशें बढ़ानी पड़ सकती है। वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनों में अप्रत्यक्ष कर संग्रह प्राय: स्थिर रहा है। अत: केंद्र और राज्यों, दोनों के राजस्व में उत्प्लवन के लिए जीएसटी से प्राप्ति में उछाल आवश्यक होगा। व्यय के पटल पर सब्सिडियों, विशेषकर खाद्य सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाना राजकोषीय क्रियाओं के लिए गुंजाइश पैदा करने में सहायक हो सकता है। सूचना है कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है और कर अंतरण पर इसकी सिफारिशों के केंद्रीय सरकार के वित्त के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं।

2.42 और अंत में, पश्चिम एशिया में बन रहे राजनीतिक घटनाक्रम का तेल की कीमतों एवं परिणामत: पेट्रोलियम सब्सिडी पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। देश के चालू खाते पर घाटे पर तो इसका प्रभाव होगा ही।

अध्याय एक नजर में

- वर्ष 2019-20 के प्रथम आठ महीनों के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राजस्व की प्राप्ति में अधिक वृद्धि हुई है जिसमें गैर-राजस्व प्राप्ति की वृद्धि का बड़ा योगदान रहा है।
- 2019-20 के दौरान (दिसम्बर, 2019 तक) कुल पांच बार सकल मासिक जीएसटी संग्रहण एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर के क्षेत्र में जो संरचनात्मक सुधार किए गए हैं उनमें कारपोरेट टैक्स की दर में परिवर्तन करने और जीएसटी के क्रियान्वयन को सरल बनाए जाने के लिए किए गए उपाय भी शामिल हैं।
- राज्य राजकोषीय मजबूती की राह पर चलते रहे हैं और राजकोषीय घाटे को उस लक्ष्य के भीतर ही रखा गया है जो कि एफ आर बी एम एक्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है।
- सामान्य सरकारें (केंद्र तथा राज्य) वित्तीय मजबूती की राह पर चल रही हैं।
- आगे बढ़ते हुये, अर्थ-व्यवस्था को उभारने कि दृष्टि से सरकार की तात्कालिक प्राथमिकता पर विचार कराते हुए, वित्तीय घाटे के लक्ष्य में थोड़ी ढील दी जा सकती है ताकि संवृद्धि को आवश्यक प्रोत्साहन मिल सके।

अनुलग्नक I

2019-20 के दौरान अप्रत्यक्ष कर के लिए किए गए प्रमुख उपाय

क. आधारभूत सीमाशुल्क (बी सी डी)

- विनिर्माण के लिए उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले आदानों/मध्यवर्ती उत्पादों (जैसे कि औद्योगिक रसायनों अयस्कों और सांद्रो, टेक्सटाइल्स फाइबर्स और यार्न, आदि) पर सामान्य रूप से शून्य/2.5%/5% 7.5% की दर से आधारभूत सीमाशुल्क लगाया जाता है। उपभोग के लिए अंतिम रूप से तैयार मदों पर उच्च दर से शुल्क लगाया जाता है, जैसे कि कागज, कागज उत्पाद, मार्बल पट्ट, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं आदि पर।

- शुल्क संरचना में प्रतिगामी स्थितियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों के अनुरूप, टेरीफ़ आयोग और औद्योगिक एवं अन्तर्देशीय व्यापार संवर्धन विभाग (डी पी आई आई टी) घरेलू उद्योगों के प्रतिलोमकारी/नकारात्मक रूप से प्रभावशाली संरक्षण के मुद्दे पर विचार किया है। अधिकतर मामलों में टैरीफ़ आयोग ने किसी प्रतिलोमकारी स्थिति को नहीं पाया है। कुछ मामलों में उनके द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसार यथोचित सुधार किए गए थे। अब ज्यादातर बात यही कही जा रही है कि प्रतिलोमकारी स्थिति मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) और इ टी ए के कारण पैदा हो रही है।

- देश के विनिर्दिष्ट रक्षा उपकरणों के राजनैतिक हितों की सुरक्षा और उनके भागों को रक्षा मंत्रालय अथवा सशस्त्र सेना द्वारा आयात किया गया, उन्हें बजट 2019-20 में मूल कस्टम ड्यूटी से छूट प्रदान की गयी।

- सरकार के द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' अभियान के अनुरूप और बराबरी का अवसर (लेवल प्लेईग फील्ड) सुलभ कराने, उपयोग क्षमता को और बेहतर बनाने तैयार आयात का विकल्प खोजने के लिए इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक/टेलिकॉम उपकरणों और हार्डवेयर, पोलीविनाइल क्लोराइड, नायलान की विशिष्ट वस्तुओं एच डी पी ई और प्लास्टिक्स स्टेनलेस स्टील और अन्य अलाय स्टील और उनके अर्ध-निर्मित उत्पादों, कुछ आटोमोबाइल पार्ट्स, न्यूजप्रिंट, अंकोटेड पेपर्स, जो कि समाचार पत्रों की प्रिंटिंग में प्रयोग आते हैं, और लाइट वेट कोटेड पेपर्स, जिनके प्रयोग मंगजीन्स के मुद्रण में होता है, जैसी वस्तुओं पर सीमाशुल्क को बढ़ा दिया गया है। पाम स्टेयरिन और फैटी आयल्स को जो अंतिम उपभोग आधारित छूट दी गयी थी उसको वापस ले लिया गया है।

- आदान लागत को कम करने और/या शुल्क की प्रतिगामी स्थिति को दूर करने और इसके उलट इन क्षेत्रों के घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ वस्तुओं, जैसे कि विद्युत वाहनों के विनिर्माण में प्रयोग आने वाले कुछ विशिष्ट पार्ट्स, नेफ़्था, एथिलीन क्लोराइड (ई डी सी), प्रोपिलीन आक्साइड (पी ओ) और कृत्रिम किडनी के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, डिस्पोज़ेबल स्टेरीलाइजड डायालाइजर और माइक्रो बैरियर, जो कि कृत्रिम किडनी में काम आते हैं, पर सीमाशुल्क को कम कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, जैसे कि पोपुलेटेड पी सी बी ए, सेल्यूलर मोबाइल्स फोनों के कैमरा माड्युल्स, सेल्यूलर मोबाइल फोनों के चार्जर/अडॉप्टर, लीथियम आयन सैल्स, डिस्प्ले माड्यूल, सेट टॉप बाक्स और कम्पैक्ट कैमरा माड्यूल जैसे पूंजीगत माल पर बी सी डी से छूट दी गयी थी।

- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई आई लेदर पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है और हाइड्स, स्किन्स और लेदर्स (टैंड और अनटैंड, सभी प्रकार के) पर निर्यात शुल्क को कम कर दिया गया है।

- इसके अलावा, राजस्व को बढ़ाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में, सोना, चांदी, प्लेटिनम, जैसी बहुमूल्य धातुओं, बहुमूल्य धातुओं की कतरन आदि (रेडियम को छोड़कर), गोल्ड एँड सिल्वर डोर, सोना/चांदी, जिसे किसी पात्र यात्री द्वारा लाया गया हो, पर सीमाशुल्क की दर में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है (अर्थात 10% से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है)।

ख. वस्तु एवं सेवाकर (जी एस टी)

- जी एस टी के लागू किए जाने से भारत की अर्थ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आया है और इससे पहले की बहु-स्तरीय, जटिल कर संरचना की जगह अब एक सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित कर व्यवस्था स्थापित हो गयी है। जी एस टी के लागू हो जाने से राज्यों के बीच परस्पर होने वाले व्यापार और वाणिज्य के सामने आनेवाली बाधाएं हट गयी हैं और भारत एक एकीकृत बाजार में बदल गया है। बहु स्तरीय कर व्यवस्था के समाप्त हो जाने से और संव्यवहार की लागत कम हो जाने से 'ईज़ आफ ड्इंग बीजनेस' बढ़ गया है और 'मेक इन इंडिया' को भी प्रोत्साहन मिला है।

- बहरहाल, जी एस टी को लागू किए जाने को लेकर कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। दरों की संख्या बहुत अधिक है, ढेर सारी वस्तुओं को बाहर रख दिया गया है और यह व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा जटिल है विशेषकर आदान पर भुगतान किए गए कर की 'क्रेडिट' और निर्यातकों को रिफ़ंड करने को लेकर। सरकार ने इन सारी समस्याओं को अपने संज्ञान में लिया है और इनका नियमित आधार पर समाधान किया जा रहा है।

- अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में और आगे भी सुधार करने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है:

I. एक पूर्णतया आटोमेटेड एकल स्रोत रिटर्न सिस्टमः

- माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू किए जाने के पीछे सरकार का इरादा यह था कि संव्यवहार के इनवाइस स्तरीय समाधान के लिए एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात जीएसटीआर.1. जीएसटीआर.2 और जीएसटीआर.3 के रिटर्न प्रपत्र में ही सोची गयी थी। हालांकि, कर दाताओं की सुविधा और राजस्व-हित को देखते हुये, जीएसटीआर.1 के साथ पठित फार्म जी एसटीआर 3 बी को लागू किया गया। सरकार का इरादा जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 के क्रम को लागू करके इनवाइस स्तरीय समस्या का समाधान करने के अपने प्रधान विचार को क्रियान्वित करना था।

- एक नयी रिटर्न प्रणाली, जिसे 01.04.2020 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है, का उद्देश्य मैन्युअल प्रयासों को कम करना और उसके स्थान पर प्रौद्यौगिकी के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इसी प्रकार के वर्क-मॉडल को भी बनाए रखना है। इसका उद्देश्य एक एकल मुख्य रिटर्न (जीएसटीआर त्म्ज.1/2/3), जिसके साथ दो अनुबंध (जीएसटीआर एएनएक्स-1 और जीएसटीआर एनएक्स-2) भी होंगे, जो अलग-अलग सुविधाओं में कार्य करेंगे, को लाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

II. प्रवर्ग जीएसटीआर आरएफएडी-01 : रिफंड की पूर्णतया इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया और एकल वितरणः

- रिफंड की एक पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, जिसमें जमा किए जाने से लेकर प्रसंस्करण तक के सभी चरण की प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक रूप से होगी, के लिए आवश्यक क्षमता 26.09.2019 से सभी सामान्य पोर्टल पर सुलभ करा दी गयी है।

- इसके अलावा विभिन्न कर शीर्षकों के अंतर्गत, विभिन्न कर प्राधिकारियों के द्वारा रिफ़ंड की राशि का अलग-अलग संवितरण किए जाने से, जैसे कि केंद्रीय कर अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले केन्द्रीय कर, एकीकृत कर और प्रतिपूर्ति-उपकर का संवितरण, राज्य के कर अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले राज्य कर के संवितरण, के कारण रिफंड के आवेदकों के सामने अनावश्यक कठिनाई आ रही थी। इस कार्य में रिफंड के आवेदकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अब सभी कर शीर्षकों के अंतर्गत स्वीकृत रिफंड आदेश और उससे संबंधित स्वीकृत रिफंड धन-राशि को अब केवल एक ही कर अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

III. कैश-लेजर (नकद खाते) तर्कसंगत बनानाः

- जहां तक सिंगल कैश-लेजर की बात है, इस लेजर को इस ढंग से तर्कसंगत बनाया जा रहा है कि इसके पहले के 20 शीर्षों को अब मिलाकर 5 शीर्ष बनाए जा रहे हैं। इसे एक यूनिफ़ाइड कैश लेजर कहा जाएगा और जिसे 01.02.2020 से लागू किया जाएगा।

IV. कागजात पहचान संख्या (डाक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) तैयार करना और उसको उल्लिखित करनाः

- सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तृत प्रयोग के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के सरकार के उद्देश्य को देखते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 08.11.2019 से एक डाक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जारी किया है जो अधिकारियों के द्वारा करदाताओं और सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजे जाने वाले सभी संप्रेषणों पर लागू होगा। इस समय DIN केवल तलाशी लेने के अधिकार, सम्मन, गिरफ्तारी के ज्ञापन, निरीक्षण नोटिसों और उन पत्रों के मामलों में लागू होता है जिन्हें किसी जांच के दौरान जारी किया जाता है।

VI. सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019

- यह योजना केन्द्रीय उत्पादशुल्क, सेवाकर और 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर नियमों से संबंधित पिछले विवादों का एक बारगी समाधान करने के लिए है। इसके तहत अनुपालन न करने वाले कर-दाताओं को एक मौका दिया जाता है कि वे स्वेच्छा से अपने घोषणा कर दें। इस योजना के अंतर्गत आने वाले मामले है -(i) कारण बताओ नोटिस और या ऐसी अपील जो कारण बताओ नोटिस से पैदा हुई हो और 30 जून 2019 तक लंबित पड़ी हो, (ii) बकाया राशि, (iii) कोई जांच, पड़ताल या लेखा-परीक्षा जिसमें राशि की प्रमात्रा का निर्धारण 30 जून, 2019 को या उसके पहले किया जा चुका हो और (iv) कोई स्वैच्छिक घोषणा।

VI. इलेक्ट्रानिक इन्वाइसिंगः

* सरकार का विचार सभी B2B इन्वाइसेस के लिए एक इलेक्ट्रानिक इन्वोइसिंग सेस्टम (e-invoice) को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का है। चरण 1 की प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी और इसे जनवरी 2020 से लागू किया जाना है। इसके अलावा 01.04.2010 से ई-इन्वाइसिंग को उन लोगो के लिए अनिवार्य बना दिया जाएगा जिनका कुल वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रूपये से अधिक का होता हो। इससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह हो सकेगा और इन्वॉइस मैचिंग में भी सुविधा होगी, जैसा कि जी एस टी की व्यवस्था में परिकल्पना की गयी है। इससे GSTN सिस्टम पर रीयल-टाइम डाटा का अद्यतन हो सकेगा और रिटर्न को भरे जाने में लगने वाले समय में भी बहुत कमी आएगी।

VII. क्विक रेस्पोंस (क्यूआर) कोड

- सरकार का विचार 01.04.2020 उन कर दाताओं के लिए सभी बी 2 सी इन्वॉइसेस के लिए डायनामिक क्यूआर कोड वाले एक इन्वॉइस सिस्टम को लागू करने का है जिनका कुल वार्षिक कोराबार 500 करोड़ रूपये से ज्यादा होता हो। इसके अलावा इसको सहज रूप से लागू किए जाने के लिए करदाताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे 01.03.2020 से स्वैच्छिक रूप से क्यूआर कोड वाले इन्वॉइस जारी कर सकते हैं।

VIII. छोटे-मोटे करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूटः

सरकार ने उन छोटे-मोटे करदाताओं को 2017-18 ओर 2018-19 की अवधि के लिए फॉर्मेट जीसटीआर 9 में अपना वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दे रखी है जिनका कुल वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रूपये या इससे कम हो। ऐसा अधिसूचना से 47/2019-सीटी, दिनांक 09.10.2019 को जारी करके किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि इन करदाताओं ने निर्धारित तारीख तक अपना वार्षिक रिटर्न नहीं भरा है तो यह माना जाएगा कि उन्होंने उस निधारित तारीख तक अपना रिटर्न भर दिया है।

IX. वस्तुओं की दरों से संबंधित परिवर्तन:

* वर्ष 2019 के दौरान जीएसटी की दरों में इसलिए परिवर्तन किया गया है कि जीएसटी की दर संरचना को सरल बनाया जा सके, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, क्रेडिट के संचयन की समस्या का समाधान किया जा सके और पिछली अवधि के विवादों का समाधान भी किया जा सके। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

(क) वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी की दर में कटौती:

i- सभी विद्युत चालित वाहनों पर 12% से 5%

ii. विद्युत चालित वाहनों के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन पर 18% से 5%

iii. स्लाइड फास्टेनर्स के पार्ट्स पर 18% से 12%

iv. मैरीन फ्यूल 0.5% (एफ ओ) 18% से 5%

v. वेट ग्राइन्डर्स (जिसमें पत्थर का ग्राइन्डर लगा हो) पर 12% से 5%

vi. सूखी इमली पर और पत्तियों/फूलों/छाल से बने प्लेट्स और कप्स पर 5% से शून्य

vii. कटाई और पॉलिस सेमी-प्रशियस स्टोन के बाद पर 3% से 0.25%

viii. हाइड्रोकार्बन एकसप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी) के अंतर्गत किये गये पेट्रोलियम परिचालनों के लिए विनिर्दिष्ट माल पर लागू दर से 5% तक

(ख) निम्नलिखित पर जीएसटी/आईजीएसटी से छूट:

i. देश में निर्मित न किये जाने वाले विनिर्दिष्ट रक्षा माल के आयात पर (2024)

ii. भारत में अन्डर-17 महिला फुटबाल विश्वकप को आयोजित करने के लिए फीफा एवं अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की माल एवं सेवाओं की आपूर्ति

iii. भारत में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति

(ग) जीएसटी दर में निम्नलिखित पर वृद्धि की जा चुकी है:

i. माल पर 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत टैरिफ के अध्याय 86 के अंतर्गत आने वाले जैसे रेलवे वैगन, रेल डिब्बे, रेल के डिब्बे और इंजन (संचित आईटीसी के रिफण्ड के बिना) यह इन वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के साथ आईटीसी संचयन की समस्या से निपटने हेतु किया गया है।

ii कैफीनयुक्त पेय पर यह 28% + 12% क्षतिपूर्ति उपकर स्थान पर किया गया है।

(घ) निर्यात संवर्धन हेतु उपाय

i. जीएसटी/आईजीएसटी में छूट:

(क) विनिर्दिष्ट नामांकित एजेंसियों द्वारा चांदी/प्लेटिनम के आयात पर

(ख) आभूषण के निर्यात पर निर्यातकों से विनिर्दिष्ट नामांकित एजेंसियों द्वारा चांदी/प्लेटिनम की आपूर्ति पर।

ii. सोना/चांदी/प्लेटिनम के आयातों पर आईजीएसटी छूट हेतु पात्र नामांकित एजेंसियों की सूची में डायमंड इंडिया लि. का समावेशन ताकि आभूषण निर्यातकों को शून्य जीएसटी पर आपूर्ति की जा सके।

(ङ) निर्दिष्ट अवधि हेतु कतिपय मामलों में जीएसटी छूट:-

i. 01.07.2017 से 30.09.2019 की अवधि के लिए 'फिशमील' पर छूट दी गई। व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर फिशमील पर कर लगाने से संबंधित कुछ संदेह थे। तथापि, इस अवधि के दौरान संचित किसी भी कर को जमा कराना आवश्यक होगा।

ii. पुल्ली, पहियों एवं अन्य पुर्जों (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) एवं कृषि उपकरण के पुर्जों के रूप में

प्रयोग होने वाले पुर्जों पर 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत जीएसटी लगाई गई।

* ऑटो या ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी दर संरचना पर पिछले कुछ महीनों में काफी चर्चा और बहस हुई है। जीएसटी राजस्व में ऑटो सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः ऑटोमोबाइल और पुर्जों पर लगने वाली जीएसटी दर में किसी भी परिवर्तन का राजस्व एवं क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ऑटो सेक्टर पर लगने वाली जीएसटी दरों पर जीएसटी परिषद में काफी चर्चा हुई है। परिषद ने किसी भी परिवर्तन की अनुशंसा नहीं की है। यह महसूस किया गया था कि अस्थायी ऑटो मंदी कई कारणों के फलस्वरूप हो सकती है, जैसे कि क्रेडिट की कमी, आधार प्रभाव (पिछले कुछ वर्षों में ऑटो सेक्अर में तेजी से विकास हुआ है और संरचनागत परिवर्तन जैसे अप्रैल, 2020 से नए ईंधन मानकों बीएस-IV को अपनाना आदि।

X सेवाओं की दरों के संबंध में परिवर्तन

- सेवाओं पर जीएसटी दरों को 4 स्लैब में रखा गया है अर्थात 5%, 12%, 18% एवं 28% जो कि मुख्यतः केन्द्र एवं राज्य दोनों में जीएसटी से पूर्व कर की स्थिति (अप्रत्यक्ष कर) पर आधारित है जिनमें अंतर्निहित कर भी शामिल है। ये दरें जीएसटी परिषद की 18.05.2017 एवं 03.06.2017 को आयोजित क्रमशः 14वीं एवं 15वीं बैठकों में सिफारिश की गयी थी।
- उक्त जीएसटी दर संरचना की जीएसटी परिषद द्वारा उसके बाद की बैठकों में समीक्षा की गई थी और दर संरचना में कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश की गयी थी।
- सेवाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को जीएसटी कराधान से विशेष रूप से कई बार छूट दी गयी है: कृषि, खेती एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, शिक्षा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धायु सहायता, बैंकिंग/वित्त/बीमा सेवाओं, सरकारी सेवाओं, पर्यटन एवं अतिथि सत्कार सेवाएं, निर्माण एवं कार्य प्रबंधान सेवाएं अतिथि सत्कार एवं पर्यटन उद्योग।
- 2019-20 में जीएसटी दरों पर लिए गए मुख्य निर्णयों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(क) 2019-20 के दौरान सामान्य व्यक्ति हेतु किए गए उपाय:

i. भूसंपदा क्षेत्र में मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से 01.04.2019 से किफायती आवास अपार्टमेंट पर बिना आईटीसी के 1% की दर से एवं मंहगे आवासी अपार्टमेंट पर बिना आईटीसी के 5% की दर से जीएसटी लगायी गई है।

ii. विकासपरक अधिकार जैसे कि विकासपरक अधिकार का अंतरण दीर्घकालीन पट्टा (प्रीमियम), फ्लोर स्पेस इन्डैक्स पर लगने वाली मध्यवर्ती कर से छूट दे दी गयी है जिससे कि सम्पदा क्षेत्र में नकद के प्रवाह की समस्या का समाधान किया जा सके।

iii. होटल में रहने की सुविधा पर लगने वाली जीएसटी दरों को निम्नलिखित कर वर्गों में पुनः बांटा गया है।

प्रति इकाई (रुपये) प्रति दिन लेनदेन मूल्य	जीएसटी
1000 रुपये एवं उससे कम	शून्य
1001 रुपये से 7500 रुपये	12%
7501 रुपये एवं उससे अधिक	18%

iv. उन परिसरों से भिन्न जिनका दैनिक टैरिफ प्रति यूनिट एकोमोडेशन 7501 रुपये है से पृथक आउटडोर कैटरिंग सेवाओं पर जीएसटी का 18: से कम करके 5: कर दिया गया है और इस पर कोई भी आईटीसी नहीं दिया जाता है।

(ख) एमएसएमई के लिए 2019-20 के दौरान किये गये उपाय।

i. एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 01.04.2019 से सेवा प्रदाताओं के लिए एक कम्पोजीशन स्कीम चलायी गयी हैं। इस स्कीम का लाभ ऐसा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ले सकता है जिनका पिछले

वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये तक हो। इस नयी कम्पोजीशन स्कीम को अपनाने वाले सेवा प्रदाता अब 6% की दर से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं और वे किसी भी प्रकार के इनपुट टैक्स के पात्र नहीं होंगे।

ii. हीरों से संबंधित जॉब वर्क सेवा पर लगने वाली जीएसटी की दर को 5% से कम करके 1.5% कर दिया गया है।

iii. बस बॉडी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क, जिस पर जीएसटीकर दर 18% ही बनी रहेगी, को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की जॉब वर्क सेवाओं की आपूर्ति, जिन पर इस समय 5% की दर नहीं लगायी जाती है (जैसे कि इंजीनियरिंग उद्योग में मशीन जॉब वर्क), पर जीएसटी की दर को 18% ही रहेगी।

अनुलग्नक II

2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों के लिए किए गए प्रमुख उपाय और अन्य उपाय

- **संघीय बजट 2019-20 में घोषित महत्वपूर्ण उपायों का सार:**
- **कॉर्पोरेट कर की दर में कमी:** वित्तीय वर्ष 2017-18 में 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए आयकर की दर को घटाकर 25% किया गया है, जबकि अन्य के लिए यह 30% है।
    - स्रोत पर आयकर कटौती के प्रावधान (टीडीएस): यह प्रावधान किया गया है कि:
    - व्यक्तिगत या एचयूएफ द्वारा ठेकेदारों/संविदाकारों या व्यावसायिकों को 50 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर टीडीएस /5% की दर से की कटौती की जानी है।
    - वर्ष के दौरान किसी बैंकिंग कंपनी/सहकारी बैंक/डाकघर से एक करोड़ रुपये से अधिक नकदी आहरण करने पर दो प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी बशर्ते कि आहरणकर्ता को छूट प्रदान न की गई हो।
    - अचल संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल पर एक प्रतिशत का टीडीएस काटते समय, प्रतिफल में क्लब सदस्यता शुल्क, कार पार्किग शुल्क, बिजली और पानी शुल्क, रखरखाव शुल्क, अग्रिम शुल्क या समान प्रवत्ति के किसी भी अन्य शुल्क की ऐसे सभी शुल्क शामिल होंगे जिनकी प्रकृति, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति के हस्तांतरण के प्रासंणीक।
    - जीवन बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी राशि के भुगतान के समय, पे-आउट के आय घटक पर अर्थात भुगतान की गई राशि में से जमा की गई प्रीमियम राशि घटाकर, 5% की दर से टीडीएस कटौती की जाएगी।
    - अप्रवासी को किए गए भुगतान से टीडीएस की कटौती न किए जाने के मामले में, यदि अप्रवासी ने रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख से पहले इस तरह की आय घोषित करते हुआ आईटीआर फाइल किया है तो किसी भी प्रकार की चूक की स्थिति में कटौतीकर्ता को करदाता नहीं माना जाएगां
- **भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को उपहार का उपयुक्त प्रोभ्द्वन/भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दिए गए उपहार के बारे में समझा जानाः** यह प्रावधान किया गया है कि 05.07.2019 को या इसके पश्चात् भारत के निवासियों द्वारा भारत के बाहर रह रहे व्यक्तियों को दिए गए किसी भी तरह के उपहार को, भारत तथा विदेशी राष्ट्रो के बीच हुए दोहरा कराधान बचाव समझौते के प्रावधानों के अधीन भारत में प्रोत आय माना जाएगा।
- **आय कर विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना:** यह प्रावधान किया गया है कि एक या एकाधिक चालू खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा करने वाले व्यक्ति, या जिसने स्वयं की या अन्य किसी

व्यक्ति की विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक धनराशि व्यय की हो या एक लाख रुपये से अधिक राशि का बिजली का बिल जमा किया हो या अन्य कोई निर्धारित शर्त पूरी करता हो, उसे अनिवार्य रूप से आईटीआर फाइल करना होगा।

- **पैन तथा आधार की अंतर्विनिमेयता:** यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है पर आधार है तथा वह कुछ सूचना देने योग्य लेनदेन करता तो उसे आधार कार्ड के आधार पर ही पैन संख्या आबंटित कर दी जाएगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने अपनी पैन संख्या को आधार संख्या से लिंक कर दिया है वह आवश्यकता पड़ने पर पैन के बजाय आधार का उपयोग कर सकता है।

- **पहले से भरी आयकर विवरणी (प्री-फिलिंग ऑफ रिटर्न):** पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) व्यक्तिगत करदाताओं को वेतन, घट की संपत्ति, प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, बैंक ब्याज, लाभांश और विभिन्न कर कटौती से आय प्रदान की गई है। इन आय और कटौती के बारे में जानकारी संबंधित स्रोतों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, ईपीएफओ से प्री-फिलिंग को सक्षम करने के लिए एकत्रित की जा रही है। वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के विवरण को प्रस्तुत करने के दायरे और अधिक संगठनों/संस्थानों को वित्तीय लेन-देन की सुविधा या उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के संबंध में जानकारी देने की आवश्यकता है।

- **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना:** अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह प्रावधान किया गया है कि कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड भी अधिनियम के तहत भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक विधि के स्वीकार्य रूप होंगे। इसके अलावा दिनांक 01.11.2019 से पिछले वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये से अधिक कुल बिक्री करने वाले व्यवसायी को भुगतान की अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधियों के साथ-साथ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा भुगतान स्वीकार करने की सुविधा अनिवार्य तौर पर उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में धारा 269 एसयू भी जोड़ी गई है।

- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्रों (आईएफएससी) को प्रोत्साहन:** आईएफएससी को कई प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं जैसे कि, 15 साल की अवधि में किसी भी दस साल के ब्लॉक में अधिनियम की धारा 80-एल ए के तहत 100% लाभ-लिंक्ड कटौती, वर्तमान/चालू और संचित आय से लाभांश वितरण कर से कंपनियों और म्युचुअल फंड को छूट, तृतीय श्रेणी एआईएफ को पूंजीगत लाभ पर छूट और गैर-निवासियों से लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान में रियायत।

- **कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्रोत्साहन:** यह प्रावधान किया गया है कि क्या वास्तव में इसका भुगतान, प्रासंगिक पिछले वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पहले किया जाता है।

- **अपतटीय निधियों के लिए विशेष कराधान शासन-पद्धति/व्यवस्था की शर्तों में छूट:** अधिनियम की धारा 9-ए, जो ऐसी शर्तों का प्रावधान करती है, जिनके तहत एक अपतटीय निधि के संचालन का भारत में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कनेक्शन नहीं होगा, इसमें यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया हैं न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की धन राशि की पूर्ति, वित्त वर्ष के अंत तक या इसके गठन से छः माह के भीतर, जो भी बाद में हो, की जा सकती है और फंड मैनेजर को भुगतान किया गया पारितोषिक कम से कम निर्धारित ढंग के अनुसार गणना की गई राशि के बराबर हो।

- **इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन:** इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से अधिकतम 1,50,000/- रुपये तक के ऋण पर ब्याज में कटौती प्रदान करने के लिए अधिनियम में धारा 80 ईईबी को डाला गया है बशर्ते कि उक्त ऋण, दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि क दौरान स्वीकृति किया गया हो।

- **अनिवासी की कुछ ब्याज आय को छूट:** कम लागत वाली विदेशी उधारी को प्रोत्साहन करने के लिए, अधिनियम की धारा 194एलसी और धारा 10 में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके

कि किसी विदेशी कंपनी सहित एक गैर-निवासी को किसी भारतीय कंपनी या व्यापारिक ट्रस्ट द्वारा दिनांक 17.9.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान भारत के बाहर रुपये के मूल्यवर्ग में जारी किए गए बॉड पर देय ब्याज की मद पर आय में छूट दी जाएगी।

- **सभी के लिए आवासः** किफायती आवास परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 31.3.2020 तक लाभ से जुड़ी कटौती का लाभ प्रदान करने के लिए, सभी के लिए किफायती आवास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, अधिनियम की धाारा 80 आईबीए के संशोधित किया गया है। ऋण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80EEA में भी संशोधन किया गया है और 45 लाख ₹ मूल्य तक के अर्थसाध्य मकान की खरीद के लिए दिनांक 31.03.2020 तक लिए गए ऋणों पर संदत्त ब्याज के लिए 1,50,000/- ₹ की अतिरिक्त कटौती की व्यवस्था की गई है।
- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)** अंशदाताओं को प्रोत्साह-एनपीएस स्कीम में खाते की समाप्ति के समय एनपीएस से बाहर निकलने के समय छूट की सीमा को बढ़ाकर अंशदाता को देय कुल राशि के 60 प्रतिशत के बराबर किया गया है। धारा 80 CCD में संशोधन किया गया है और केंद्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारी के खाते में किए जाने वाले अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा, किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा नवीन पेंशन स्कीम के टियर-II खाते में अंशदान के रूप में संदत्त या जमा की गई प्रत्येक राशि विशिष्ट दशाओं के अध्यधीन धारा 80C के तहत कटौती के दायरे में आएगी।
- **स्टार्टःअप्स के लिए प्रोत्साहनः**-किसी पात्र स्टार्ट अप के मामले में व्यवसाय सुगमता की सुविधा के लिए, यह व्यवस्था की गई है कि यदि एकाधिकार वाले पात्र स्टार्ट अप में मौजूदा शेयरधारक आगे भी ऐसे शेयरधारकों के रूप में बने रहते हैं तो, चाहे शेयरधारण की पद्धति में कोई परिवर्तन क्यों न हो जाए, पूर्ववर्ती वर्ष की हानियों को अग्रेनीत करने और पूर्ववर्ती वर्ष की आय की तुलना में इसकी मुजराई करने की अनुमति होगी। साथ ही, आवधिक भवन को विक्रय से होने वाले पूंजीगत लाभों को स्टार्ट-अप्स में निवेश करने के लिए छूट की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 31.03.3021 तक कर दिया गया है।
- **श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के लिए प्रोत्साहन**-उद्यम पूंजी उपक्रमों की सुविधा के लिए अधिनियम की धारा 56 में संशोधन करते हुए श्रेणी-II एआईएफ में, प्राप्त प्रतिफल की अतिरिक्त राशि पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है यदि शेयरों के निर्गम के लिए प्राप्त समग्र प्रतिफल का मूल्य निष्पक्ष बाजार-मूल्य से अधिक है।
- **संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान के लिए प्रोत्साहन-यह व्यवस्था की गई है कि**-कतिपय लेन-देनों के संबंध में शेयरों के निष्पक्ष बाजार-मूल्य के निर्धारित से छूट यह व्यवस्था की गई है कि कतिपय श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को, पूंजीगत लाभों और मानित उपहारों की गणना के समय शेयरों के निष्पक्ष बाजार मूल्य को मान्य करने से संबंधित उपबंधों से छूट प्रदान की जाएगी यदि ऐसे लेन-देन से संबंधित पक्षकारों का शेयर की कीमत के निर्धारण पर कोई नियंत्रण न हो।
- **सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की पुनः** खरीद पर कर-अधिनियम की धारा 115QA में संशोधन क्या गया है और व्यवस्था की गई है कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की पुनर्खरीद पर कर नहीं लगेगा। कराधान विधियां संशोधन, अधिनियम (2019) (टीएलएए) की प्रभावित की तारीख को संशोधित करते हुए व्यवस्था की गई है कि दिनांक 05.07.2019 को या उससे पूर्ण घोषित पुनर्खरीद के मामले में, सूचीबद्ध शेयरों पर पुनर्खरीद कर लागू नहीं होगा।
- **छूटप्राप्त संस्था के रजिस्ट्रेशन का निरसन**-यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी धमार्थ न्यास/संस्था जिसे अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है, को इस प्रयोजन के लिए सारवान् प्रत्येक विधि के उपबंधों का अनुपालन

करना अपेक्षित है, जिनका उल्लंघन किए जाने पर रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा।

- **भारतीय लेखाकरण मानक अनुपालक कंपनियों के विसंबद्धन की सुविधा प्रदान करना**-अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई है कि विसंबद्धन के मामले में, परिणामी कंपनी द्वारा अंकित मूल्य पर संपत्ति और देयताओं के अभिलेखन की अपेक्षा को ऐसे मामले में लागू नहीं किया जाएगा जहां इसके द्वारा प्राप्त उपक्रमों की संपत्ति और देयताओं को, भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुपालन में विसंबद्धन के ठीक पूर्व, विसंबद्ध कंपनी की खाता-बहियों में अंकित मूल्य से भिन्न मूल्य पर अभिलिखित किया जाए।

- **अग्रिम कीमत-निर्धारण करार (एपीए)** किए जाने के अनुक्रम में दाखिल की गई आय-विवरणी में आशोधन अधिनियम की धारा 92CD में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में निर्धारण या पुनर्निर्धारण पहले ही पूर्ण किया जा चुका है और एपीए पर हस्ताक्षर होने के बाद करदाता द्वारा आशोधित आय-विवरणी फाइल कर दी गई है उनमें निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा कुल आय की संगणना तदनुसार की जाए।

- **द्वितीयक समायोजन**-अनुपालन की दृष्टि से द्वितीयक समायोजन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए धारा 92CE में संशोधन करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि निर्धारिती, जो भारत का निवासी नहीं है, के किसी भी संबद्ध उद्यम से अतिरिक्त धनराशि को प्रत्यावर्तित किया जाए और जिन मामलों में ऐसी अतिरिक्त धनराशि या उसका कोई भाग समय से प्रत्यावर्तित नहीं किया गया हो उनमें निर्धारिती को ऐसी अतिरिक्त धनराशि अथवा उसके ऐसे भाग पर अठारह प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध होगा तथा ऐसे भुगतान की गई कर की राशि के संबंध में किसी प्रकार के क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी।

- **निधियों में से कतिपय इक्विटी आधारित निधियों के संबंध में अल्पावधि पूंजी लाभ (एसटीसीजी) कर की रियायती दर**-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के विनिवेश हेतु स्थापित निधियों के बारे में निर्धारित प्रोत्साहन के क्रम में अल्पावधि पूंजी लाभों के लिए रियायती कर की दर को निधियों में से ऐसी निधियों की इकाइयों के अंतरण के संबंध में बढ़ाया गया।

- **श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ के मामलों में हानियों को वहन करना**-अधिनियम की धारा 115UB में संशोधन किया गया है और श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ के कतिपय मामलों में हानियों को वहन करने की व्यवस्था की गई है।

- **धारा 286 में ''लेखा वर्ष'' की परिभाषा**-अधिनियम की धारा 286, जो किसी मूल संस्था द्वारा अथवा किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह की भारत में स्थानिक किसी वैकल्पिक रिपोर्टिंग संस्था (एआरई) जिसकी यह एक घटक है, देश-वार रिपोर्ट (सीबीसीआर) प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था करती है, उसमें संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि जब एआरई द्वारा सीबीसीआर प्रस्तुत किया जाना हो तब रिपोर्टिंग लेखा वर्ष वह होगा जो मूल संस्था पर लागू होता है।

- **मास्टर फाइल का रख-रखाव** अधिनियम की धारा 92D में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि भारत में स्थानिक किसी अंतरराष्ट्रीय समूह की किसी घटक संस्था द्वारा मास्टर फाइल का रख-रखाव किया जाएगा चाहे ऐसी घटक संस्था द्वारा कोई अंतरराष्ट्रीय लेन-देन किया गया हो या नहीं।

- **आय कम बताकर सूचना देने के लिए दंड का निर्धारण**-अधिनियम की धारा 270A में संशोधन करते हुए यह विहित किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति ने अपनी आय को कम बताते हुए सूचित किया है और धारा 148 के अधीन प्रथम बार विवरणी प्रस्तुत की है वहां दंड की मात्रा की संगणना करने की रीति क्या होगी।

- **आय-विवरणी दाखिल करने में विफलता के मामले में अभियोजन**-यह व्यवस्था की गई है कि आय-विवरणी दाखिल करने में विफलता के लिए अभियोजन की कार्यवाही ऐसे मामलों में नहीं की जाएगी जहां पहले से ही संदत्त अन्य करों के अलावा, स्वनिर्धारित कर और स्रोत पर संग्रहीत कर के समायोजन के बाद देय कुल कर 10,000/- ₹ से अधिक नहीं है।

- **दूसरे देशों के साथ करारों के अनुपालन में कर की वसूली**-यह व्यवस्था की गई है कि जहां कोई कर व्यतिक्रमी भारत में या किसी अन्य देश में निवासी (स्थानिक) है वहां संगत कर उद्ग्रहण अधिकारी, जो ऐसे व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार रखता हो, संबंधित देश में उक्त व्यतिक्रमी की संपत्तियों (चाहे ऐसी संपत्तियों का विवरण उपलबध हो या नहीं) के बाबत कर की वसूली कर सकता है।

  धनवापसी (रिफंड) का दावा - अधिनियम की धारा 239 में संशोधन करके धनवापसी का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 139 के उपबंधों के उपबंधों के अनुसार रिटर्न दाखिल करते हुए धनवापसी के प्रत्येक दावे का निपटान किया जा सके

ख. वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए अन्य उपाय

- **कराधान कानून (संशोधन)** अध्यादेश, 2019 को 20.09.2019 को जारी किया गया। इसके बाद अध्यादेश को टीएलएए द्वारा बदल दिया गया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि:
- मौजूदा घरेलू कंपनियां यदि निर्दिष्ट कटौती और प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेती है और कुछ निश्चित् पूर्व-शर्तें को पूरा करती हैं तो वे 25.17% (10% अधिभार के साथ 22% कर, और 4% उपकर) के प्रभावी कर दर पर रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं।
- 01.10.2019 को या उसके बाद स्थापित नई विनिर्माण घरेलू कंपनियां जिन्होंने 31.03.2023 तक विनिर्माण या उत्पादन शुरू दिया है, वे उन पर 17.16 (10% अधिभार के साथ 15% कर, और 4% उपकर के प्रभावी दर पर कर लगाए जाने) के विकल्प को चुन सकती है, बशर्ते कि वे किसी निर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती का लाभ न लें और कुछ पूर्व शर्तें को पूरा करें।
- रियायती कर व्यवस्था का चयन करने वाली कंपनियों को एमएटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- जिन कंपनियों ने रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है, उनके लिए एमएटी की दर 18.5% से घटाकर 15.5% कर दी गई है।
- वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के लागू होने पर संवर्धित अधिभार कुछ ऐसी निश्चित प्रतिभूतियों और इकाइयों, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का भुगतान किया जा चुका है, के हस्तांतरण के कारण प्राप्त होने वाले पूंजीगत लाभ पर लागू नहीं किया जाएगा। बढ़ा हुआ अधिभार रियायती कर व्यवस्था वाले डेरिवेटिव्स सहित किसी भी प्रतिभूति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली एफपीआईएस की पूंजीगत लाभ आय पर भी लागू नहीं होगी।
- धारा 269एसयू के प्रयोजन के लिए निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड: राजपत्र में प्रकाशित जीएसआर 60 (ई) के माध्यम से अधिसूचना संख्या 105/2019, दिनांक 30.12.2019 के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 01.01.2020 के प्रभाव से, ऐसे व्यवसाय, जिसका कुल बिक्री लाभ वित्त वर्ष में रू. 50 करोड़ है, से भुगतान स्वीकार करने के लिए धारा 269एसयू के अधीन यथा अधिदिष्ट, रूप द्वारा संचालित कोई भी डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) (भीम-यूपीआई) और युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पांस कोड (रूपीआईकयूआर कोड) (भीम)-यूपीआईक्यूआर कोड) निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा।

- मोटर-वाहन पर परिवर्धित मूल्यह्रास- राजपत्र में प्रकाशित जीएसआर संख्या, 679 (ई) के माध्यम से अधिसूचना संख्या, 69/2019 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 23.08. 2019 के प्रभाव से व्यापार या पेशे के उद्देश्य से नए मोटर-वाहन खरीदने वाले कर दाताओं को राहत प्रदान करने के लिए, मोटर कारों के लिए 30% और मोटर्स बसों/लॉरियों के लिए 45% के परिवर्धित मूल्यह्रास का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ई-निर्धारण योजना-2019- कर निर्धारण प्रक्रिया में प्रचलित मौजूदा मानव इंटरफ़ेस और व्यक्तिगत इंटरएक्शन को हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में फेसलेस निर्धारण योजना, जिसमें कोई मानव इंटरफ़ेस शमिल नहीं है, को राजपत्र में प्रकाशित एसओ 3264 (ई) के माध्यम से

अधिसूचना संख्या 61/2019 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- **स्टार्टअप के लिए अनुपालन मानदंडों का सरलीकरण**- सदस्य (आईटी व सी) के तत्वावधान में सीबीडीटी द्वारा शिकायतों के निवारण और स्टार्ट अप से संबंधित विभिन्न कर संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्टाट-अप प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। स्टार्टअप के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करने वाला एक समेकित परिपत्र भी जारी किया गया है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि एंजल कर के संबंध में अतिरिक्त परिवर्धन से संबंधित बकाया कर की मांग संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी और बकाया मांग के संबंध में कोई पत्रचार भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्ट-अप की अन्य आयकर की मांग संबंधी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी, जब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि आईटीएटी द्वारा मांग की पुष्टि नहीं की जाती।
- **दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन)**- तारीख 01.10.2019 से जारी किए गए विभाग के ऐसे प्रत्येक पत्राचार, भले ही वह मूल्यांकन, अपील जाँच, जुर्माना और अन्य चीजों में सुधार से संबंधित हो, में अन्य बातों के अलावा, अनिवार्य रूप से एक कंप्यूटर-जनित यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन) होगी। किसी भी कॉपरोरेट या व्यक्तिगत कर दाता को जारी किया गया कोई भी कर नोटिस, समन या पत्र इस नंबर के बिना अमान्य होगा।
- **मुकदमेबाजी में कमी**- आईटीएटी के समक्ष विभागीय अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा ंको बढ़ाकर 20 लाख से 50 लाख, उच्च न्यायालय के समक्ष विभागीय अपील दायर करने की मौद्रिक सीमां को बढ़ाकर 50 लाख से 1 करोड़ और उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभागीय अपील दायर करने की मौद्रिक सीमां को बढ़ाकर 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया। लंबित अपीलें, जिसमें इस सीमा से कम कर प्रभाव वाली अपीलें शमिल हैं, वापस ले ली जाएंगी या उन पर जोर नहीं दिया जाएगा।
- **अभियोजन के लिए मानदंडों में छूट**- यह प्रावधान किया गया है कि उपयुक्त मामलों में अभियोजना तभी प्रारंभ किया जाएगा जब कर अपवंचन की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है। इसके अलावा, ऐसे मामले, जहां कर वंचन न्यूनतम मौद्रिक सीमा से कम है, वहां अभियोजन प्रारंभ किए जाने के लिए कॉलेजियम, जिसमें दो उच्च रैंक के अधिकारी शामिल हो, से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, वास्तविक मामलों में कठिनाई को कम करने के लिए संयुक्त आवेदन दाखिल करने के 12 महीने की समय सीमा में, एक बार छूट देने के रूप में, छूट दी गई है।